मंजरी

स्त्री के मन की

अक्टूबर , 2015 अंक 6

बेआसरा बुढ़ापा

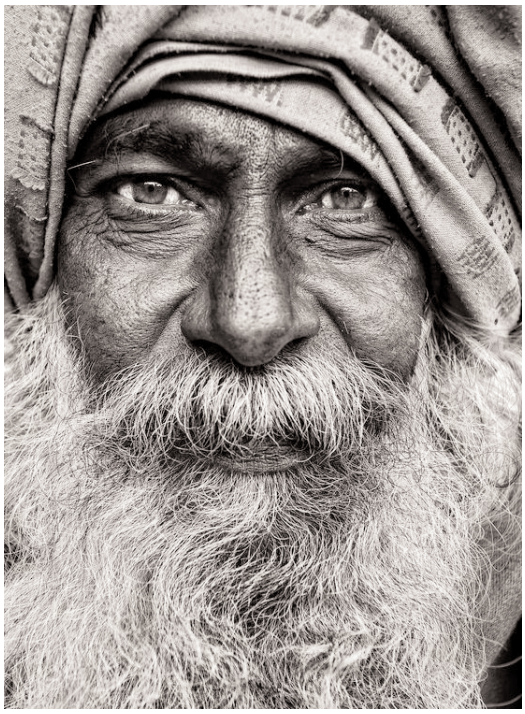

दूध से हमने किया तैयार
हंसता-खेलता बिहार

सुधा
श्वेत समृद्धि

COMFED
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
E-mail : comfed.patna@gmail.com, www.sudha.coop

सुधा
का नया UHT एलेकस्टर दूध पैक, बिना फ्रिजिंग
रहे अब 90 दिन तक, शुद्ध और ताजा

COMFED बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि. www.sudha.coop

Sudha
An alliance
with healthy life

Bihar/Jharkhand's No.1 Dairy brand
Sudha
सेहत, स्वाद, अनगिनत खुशियाँ

COMFED BIHAR STATE MILK CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.
E-mail: comfed.patna@gmail.com, Website: www.sudha.coop

SHAHAD

ये दूध नही दम है,
पियो जितना कम है।

Sudha
सेहत,स्वाद,अनगिनत खुशियाँ

Best Brand Best Milk

COMFED बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
E-mail : comfed.patna@gmail.com www.sudha.coop

COMFED बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.

समर्पित

श्रद्धांजलि

स्वर्गीय अरुण नारायण सिंह (भा.पु.से.)

मंजरी का यह अंक समर्पित है 1969 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री अरुण नारायण सिंह को, जिनका महत्वपूर्ण योगदान समाज के उत्थान में भी समान रूप से रहा। कैंसर की लंबी बीमारी से जूझने के बाद 9 अक्टूबर, 2015 को न्यूयार्क में श्री सिंह का देहांत हो गया।

वे लंबे समय तक टाटा स्टील से जुड़े रहे थे। जानने वालों के बीच अरुण बाबू के नाम से मशहूर श्री सिंह ने पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल और फिर पटना कॉलेज से पढ़ाई की थी। 1969 में वे भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए और 1990 में उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। 1991 में वे टाटा स्टील से बतौर प्रधान एक्जेक्यूटिव ऑफिसर जुड़ गए। 1994 में वे कंपनी के शहरी चिकित्सा एवं समाज सेवा विंग के उपाध्यक्ष बनाये गये। वर्ष 2001 से 2007 तक वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (कॉरपोरेट सर्विस) के पद पर बने रहे। इसके साथ-साथ वे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे। उन्हें जमशेदपुर शहर को बेहतर बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और कार्यों के लिए हमेशा याद किया जायेगा। वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई से भी सक्रिय रूप से जुड़े थे। मंजरी की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

संकल्पना

इक्विटी फाउंडेशन लंबे अरसे से एक वेब पत्रिका शुरू करने के बारे में सोच रहा था। मकसद था महिला और समाज के मुद्दों को शिद्दत से उठाना। जब हमने चीजों को एक साथ कर उसे पत्रिका के रूप में सजाने के बारे में सोचना शुरू किया तो इस क्रम में कई लोगों से जुड़े। हमने महिलाओं को पत्रिका से जोड़ने की कोशिश की। हम दोस्तों से मिले और परिचितों से बात की। महिलाओं के सामाजिक समूहों और शिक्षाविदों के एक साथ जुड़ने के बाद जो स्वरूप सामने आया वह है 'मंजरी'।

मंजरी यानी कोंपल। शाखों में फूटने वाली नन्ही पत्तियां। नई शाखों का सृजन करने वाले इन कोंपल को कुम्हलाने से बचाना जरूरी है नहीं तो पूरे पेड़ का विस्तार कुंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह स्त्री के मन की मंजरी को सहेजने की जरूरत है वरना पेड़रूपी समाज विकृति का शिकार हो जाएगा। हमारा प्रयास इसी मंजरी को पुष्पित पल्लवित करने का है जो औरत की सोच और उसकी कोशिश को सही दिशा प्रदान कर सके।

मंजरी के सृजन के दौरान पहले तो 10-30 लोगों का एक ढीला-ढाला समूह बना। विचार आते गए। अलग-अलग विषयों और अलग-अलग मुद्दों पर। समूह में कुछ अनमनी महिलाएं थीं तो कुछ सहानुभूति दिखाने वाले पुरुष भी। कुछ महज एक या दो बैठकों में शामिल हुए तो कुछ जब मन में आया, आ गए। बाकी बचे लोगों ने 'मंजरी' को मुकाम तक ले जाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया। 'मंजरी' का लक्ष्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां बुद्धिजीवियों को उनकी खुराक मिले तो शोधकर्ताओं की जिज्ञासा शांत हो। क्रियान्वयन के लिए बहस और तर्क के रास्ते हमेशा खुले रहें। इक्विटी की लगातार कोशिश रही है शोध और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटना। ऐसे में हमारा मानना है कि शोध तब तक अप्रासंगिक हैं जब तक कि इनका लोगों की जिंदगी और उनके क्रियाकलापों से जुड़ाव न हो। ठीक इसी तरह सिविल सोसाइटी के तौर पर अगर हम जमीनी सच्चाई से वाकिफ न रहें, जिनमें सामाजिक प्रक्रियाएं और ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश है और जो समाज में रहने वाले लोगों के मूल्यों और उनके चरित्र को आकार देते हैं, तो किसी भी कोशिश का कोई मतलब नहीं बनता है।

'मंजरी' एक उद्यम है, क्रियाशीलता को शोध आधारित रचना और आलोचना के नजरिये से देखने का जो महिला अधिकारों के साथ-साथ जीवन के हर पहलू को इंगित करे। नियमित गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक तंत्रों से इतर 'मंजरी' राजनीति और आदर्शवादिता को लांघ कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता के आधार पर मापती है। 'मंजरी' उन तमाम कार्यकर्ताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, प्रोफेशनल, गृहणियों और नीति निर्धारकों द्वारा पढ़ी जाएगी जो किसी समस्या के लिए समाधान आधारित नवीन दृष्टि और पृथक सोच रखते हैं। यह पत्रिका अपने पाठकों को जेंडर आधारित मुद्दों को जैविक और सामाजिक आधार पर परखने की छूट देती है। व्यक्ति और समाज की विचारधारा में जेंडर को लेकर क्या बदलाव आये और उनका क्या असर हुआ, इसकी पूरी पड़ताल करने की आजादी लोगों को होगी। यह पत्रिका एक कोशिश है पड़ताल की प्रवृत्ति को जगाने की ताकि लोग तेजी से बदलते और विविधताओं से भरे समाज में पूरी क्षमता से काम करने को तैयार हो सकें जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव भी एक अहम मुद्दा होगा। महिला समानता और अधिकारों पर 'मंजरी' के दखल से उन बेशुमार कार्यकर्ताओं, संगठनों और विद्वजनों को फायदा होगा जो दहेज, यौन प्रताड़ना, महिला अधिकारों, महिला आरक्षण, आर्थिक सुधार और अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में रुचि रखते हैं।

पत्रिका का मकसद

इक्विटी फाउंडेशन खुद को सुविधाविहीन महिलाओं को उनकी पूर्ण क्षमता से अवगत कराने और समाज में उनके क्रियाशील प्रभुत्व को स्थापित कराने की दिशा में वाहक के तौर पर देखता है। देश के विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की राष्ट्रीय नीति तभी सफल हो पाएगी जब महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को कमतर आंकने वाले संस्थान और विचारों को हतोत्साहित किया जाये या उनका पूरी तरह सफाया किया जाय। 'मंजरी' की परिकल्पना समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के जीवन और उनके स्तर को प्रभावित करने वाले विचारों के निर्माण, विकास और उनके प्रसार के लिए की गई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में समानता संबंधी मुद्दों को इस प्रकार समग्र रूप में देखने की जरूरत है जो असमानता की अंतरवर्गीय विशेषताओं को जाहिर कर सके। समानता पर आधारित 'मंजरी' के ज्यादातर आलेख भिन्न-भिन्न समूहों को निशाने पर रखते हैं जो कुछ हद तक बेहद जरूरी भी है। इसलिए यह पत्रिका कुछ समूहों के कुछ विशेषाधिकारों के पूर्ण निष्कासन और अंतरवर्गीय दृष्टिकोणों के स्थापन के बीच नियंत्रक की भूमिका में होगी जो नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान असमानता को उसके तमाम स्वरूपों के साथ सामने रखने में कारगर होगी। ऐसे में इसका मकसद लैंगिक भेदभाव के निर्मूलन की ओर वह विवेचनात्मक चर्चा छेड़ने का है जो वर्तमान परिदृश्य में शोधों का एजेंडा तय कर सके और एक बेहतर वैकल्पिक प्रस्ताव का सृजन कर सके। अब तक यह संगठन कार्यशाला, कांफ्रेंस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के जरिये अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता रहा है लेकिन अब इस पत्रिका के माध्यम से यह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अतिथि लेखकों, जिनमें विद्वजन, अधिवक्ता, सरकार, पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता है, को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

संपादकीय

संरक्षण

पद्मश्री डा. उषा किरण खान
प्रख्यात लेखिका एवं साहित्यकार

मणिकांत ठाकुर
प्रख्यात पत्रकार

डा. रेणु रंजन
प्रोफेसर (सेवा.), समाज शास्त्र
पटना विवि

प्रो. डेजी नारायण
प्रोफेसर, इतिहास, पटना विवि

परामर्श

मनीष कुमार
ब्यूरो चीफ, एन.डी.टी.वी. बिहार

कीर्ति
परियोजना प्रबंधक, महिला सामाख्या, बिहार

डा. शरद कुमारी
समाज सेविका

अंजिता सिन्हा
पत्रकार

डा. मधुरिमा राज
लेखिका

पूरी दुनिया में वृद्ध ही वो वर्ग है जो सबसे तेजी से विस्तार कर रहा है। वर्ष 2050 तक साठ साल से ऊपर के लोगों की संख्या 2 बिलियन को भी पार कर जाने वाली है और यह बच्चों की संख्या से कहीं ज्यादा होगी। इनमें भी 80 फीसद बूढ़ी आबादी विकासशील देशों में रहेगी। कानून के मुताबिक, सीनियर सिटीजन का मतलब उस व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक हो और जिसकी उम्र 60 या उससे अधिक हो। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और हेल्प एज इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2011 में भारत में 90 मिलियन बुजुर्ग थे जो 2026 तक बढ़कर 173 मिलियन तक पहुंच जाने की आशंका है। देश में मौजूद 90 मिलियन बुजुर्गों में से 30 मिलियन अकेले रहते हैं जबकि 90 फीसद को अपनी जीविका चलाने के लिए अभी भी काम करना पड़ रहा है। चिंता इस बात से है कि ज्यादातर बूढ़े लोगों को अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वे अशिक्षित हैं और सतर्क नहीं हैं। अपने अधिकारों को लेकर उनमें फैली अज्ञानता का ही नतीजा है कि ऐसे कानूनों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। इतना ही नहीं मानवाधिकार तंत्र ने भी बुजुर्गों के प्रति होने वाले अत्याचारों के प्रति लंबे समय तक अपनी चुप्पी बनाए रखी, उदाहरण के लिए -

आर्थिक लाभ के अवसरों से वंचित रखा और सामाजिक सुविधाएं मुहैया नहीं कराईं। इसी का नतीजा रहा कि वे गरीबी की चपेट में आते गए।
स्वास्थ्य सुरक्षा, व्यक्तिगत संपत्ति और वित्तीय अधिकारों पर फैसला लेने के अधिकार से अलग रखा।
उत्तराधिकार का कानून किसी विधवा को उसकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर देता है और संपत्ति पर किसी अन्य रिश्तेदार के अधिकार को मान्यता देता है।
स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में प्रशिक्षित लोगों को न रखना और इलाज के दौरान बूढ़े लोगों से दुर्व्यवहार करना।
संस्थागत देखभाल के दौरान बुजुर्गों को प्रताड़ित करना और यहां तक कि घर के भीतर भी उनके साथ मारपीट और अत्याचार करना।

अब तक किसी भी मानवाधिकार कन्वेंशन ने बूढ़े लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर सक्रियता नहीं दिखाई है। केवल एक संधि- प्रवासी कामगारों के अधिकारों की रक्षा- ही उम्रदराज लोगों के साथ भेदभाव का विरोध करती है। दरअसल, मानवाधिकार कानूनों की मौजूदा संरचना न केवल मानदंडों में दरार को पाट पाने में अक्षम रही है बल्कि इसे कार्यान्वित करने में भी सफल नहीं रही है। बुजुर्गों पर अत्याचार को लेकर किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की गई है। राज्यों में बनने वाली मानवाधिकार रिपार्टों में शायद ही कभी बुजुर्गों पर अत्याचार का जिक्र होता है।

देश में मानवाधिकार काउंसिल द्वारा पहले चरण की समीक्षा के बाद जो 21,353 सुझाव दिये गये उनमें मात्र 31 ही बुजुर्ग लोगों से जुड़े थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा भी है "वर्तमान में मौजूद मानवाधिकार तंत्र बूढ़े लोगों की स्थितियों को समझने और उन तक पहुंच बना पाने में असफल रहा है।" बुजुर्गों को शांति पहुंचाने वाले तंत्र की सर्वथा कमी रही है। यह तंत्र उन बुजुर्गों के लिए विशेष प्रभावी है जो संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहे होते हैं। जानलेवा रोगों से जूझ रहे लोगों को दर्द से छुटकारा दिलाने और उन्हें मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर सुकून पहुंचाने

हमारी बात

मुख्य संपादक

नीना श्रीवास्तव

संपादक

दीपिका झा

शोध

नीना श्रीवास्तव
दीपिका झा

प्रबंधन/व्यवस्था

राहुल कुमार

प्रकाशन

इक्विटी फाउंडेशन

आर्थिक सहयोग

सुधा डेयरी
सेज पब्लिकेशन
बंसल ट्यूटोरियल, पटना
द ऑफसेटर, पटना
जीवक हार्ट हॉस्पीटल, पटना
केनरा बैंक
भूषण इंटरनेशनल, पटना
हॉस्पिटो इंडिया, पटना

संपर्क

इक्विटी फांउडेशन
123 ए, पाटलीपुत्र कॉलोनी
पटना, 13
फोन : 0612-2270171
ई-मेल
equityasia@gmail.com
वेबसाइट
www.emanjari.com

के लिए यह तंत्र प्रभावी सिद्ध होता है। इतना ही नहीं इसके तहत बूढ़े लोगों को उनकी संपत्ति, वित्तीय अधिकार, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े फैसले लेने में कानूनी सहायता भी दी जाती है। उपशामक या शांति प्रदान करने वाली यह देखभाल उन बुजुर्गों के लिए विशेष फलदायी है जो किसी लंबी बीमारी या कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग या डिमेंशिया जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं। ऐसे में मानवाधिकार तंत्र के मानकों का खामियाजा सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों को ही भुगतना पड़ता है।

हर साल 7.3 मिलियन लोग कैंसर और एचआईवी से होने वाले दर्द से व्याकुल होकर प्राण त्याग देते हैं। चूंकि निम्न और मध्य आय वर्ग वाले देशों में बीमारियां कहीं ज्यादा व्याप्त हैं, ऐसे में अत्यधिक संख्या में लोगों, जिनमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होती है, की मौत संकटपूर्ण स्थिति में हो जाती है। ऐसे देशों में केवल 7 फीसद लोगों को ही दर्द से निजात पाने वाली दवा मिल पाती है। उसमें भी बूढ़े लोग तो परिदृश्य से गायब ही हो जाते हैं क्योंकि एचआईवी और ऐसी ही अन्य बीमारियों की रिपोर्ट तैयार करते वक्त उन्हें कहीं भी जगह नहीं दी जाती है।

मगर हालात ने बदलना शुरू कर दिया है -

वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र जेनरल असेम्बली में बुढ़ापे को लेकर काम करने वालों का एक खुला समूह बनाया गया। इस कार्यसमूह का काम बूढ़े लोगों के अधिकारों और उनके लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करने में आने वाली अड़चनों का पता लगाना है।
वर्ष 2011 में मानवाधिकार के हाई कमिश्नर नवी पिल्लई ने मानवाधिकार काउंसिल के पैनल को बुजुर्गों के स्वास्थ्य के बारे में कहा कि बुजुर्गों को उपशामक उपचार की जरूरत है ताकि वे जिएं तो शांति से और मरें तो सम्मान के साथ।
वर्ष 2013 में अफ्रीकी कमीशन ने बूढ़े लोगों के अधिकारों को लेकर नया प्रोटोकॉल लागू किया। इसके अलावे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्ट्रेटस इंटर अमेरिकन कन्वेंशन के साथ मिलकर बुजुर्गों के अधिकारों के लिए काम करने की ओर अग्रसर है।
काउंसिल ऑफ यूरोप भी बूढ़े लोगों के अधिकारों को लेकर अबाध्य दिशा-निर्देश बनाने पर काम कर रहा है।

उपरोक्त सभी प्रयासों के बाद भी सक्रिय बुजुर्गों को सक्रिय बनाये रखना और जरूरतमंदों को शांतिपूर्ण उपचार प्रदान करना मुश्किल बना हुआ है।

नीना श्रीवास्तव

अतिथि संपादक

बुजुर्गों की स्थिति : भारतीय परिप्रेक्ष्य में

जिसे देख के बहुत खुश हुए थे
खुले आकाश में कुछ तलाशती तरसती ये निगाहें
उसी को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ गए।

डॉ. वी. मोहिनी गिरी

डॉ. गिरी महिलाओं की मुखर आवाज हैं। उन्हें भारत और दक्षिण एशिया में मानवाधिकार, लैंगिक समानता और शांति के लिए काम करने के लिए बखूबी जाना जाता है। वे विधवाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं और पिछले चार दशकों से वंचितों और कमजोरों के लिए वकालत करती आ रही हैं। उनका जन्म 15 जनवरी, 1938 को लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ और विवाह पूर्व राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी के सुपुत्र से हुआ। सुश्री गिरी को नौ भाषाओं का ज्ञान है और वे देश के 542 जिलों की यात्रा कर चुकी हैं। वे वार विडोज एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं जबकि वर्ष 1994 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावे भी वे कई प्रमुख पदों पर रह चुकी हैं। वर्ष 2007 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया।

जब मुझे इक्विटी फाउंडेशन की डायरेक्टर नीना श्रीवास्तव का पत्र मिला तो इत्तेफाक से 90 साल की उस बूढ़ी महिला की ओर ध्यान चला गया। चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित टैगोर हॉल का वीवीआईपी और वीआईपी गेट जहां से मुख्य मंच करीब एक फर्लांग दूर है, किसी अन्य वाहन को उस गेट से आने की इजाजत नहीं है। बूढ़े लोगों की भी इच्छा होती है कि वे ड्रामा, नृत्य, भाषण और क्रिकेट मैचों का आनंद ले सकें, तब तक जब तक कि वे जिंदा हैं। लेकिन इस वृद्धा को हॉल के वीआईपी गेट से अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई और उसे 5 गज की दूरी तय कर दूसरे गेट से आने को कहा गया। वह वृद्धा जैसे ही दूसरे गेट की ओर बढ़ी, गेट की ओर आती एक वीआईपी कार ने उसे ठोकर मार दी जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। यह कहानी हमारे देश में होने वाली अकेली ऐसी कहानी नहीं है बल्कि समाज, पुलिस और सरकारी विभाग ऐसी अशिष्टताओं से देश को प्रतिबिम्बित करते रहते हैं। इनके पास किसी के लिए कोई सुविधा नहीं होती चाहे वो बूढ़े हों, लाचार या अपाहिज।

मैं एक आलेख लिखने के बारे में सोच रही थी ! कैसा आलेख ? बूढ़े लोगों का हाल बताने वाला, उनके प्रति उदासीनता और असम्मान के बारे में बताने वाला आलेख। लेकिन ये कहानियां तो असली लोगों की असली कहानियां हैं जो पूरे देश में बिखरी पड़ी हैं। मैं बुजुर्ग महिलाओं पर होने वाली ज्यादतियों की तह में नहीं जाना चाहती, फिर चाहे वह संपत्ति के लिए हत्या हो, बच्चों द्वारा घर से निकाल दिया जाना हो, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय की कोई व्यवस्था न होना हो या फिर सबसे बढ़कर मौत का इंतजार करने के लिए अकेले छोड़ दिया जाना हो। इन सबकी व्याख्या करने से क्या समाधान हो जाएगा?

पिछले दो दशकों से मैं उस समाधान के लिए संघर्ष कर रही हूं जो बुजुर्गों को सम्मान और प्यार दिला सके। हमारे पारंपरिक मूल्य तो समाप्त हो ही चुके हैं, समूचे माहौल और आर्थिक बदलावों ने भी महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये ठीक है कि वृद्धाश्रम और अन्य आश्रम वैकल्पिक सहयोग प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं लेकिन उनका खर्च कितने लोग वहन कर सकते हैं ? इसके अलावे इन आश्रमों में महिलाएं जो अकेलापन महसूस करती हैं वो दर्दनाक होता है।

आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2050 तक भारत दुनिया के हर छठे बूढ़े इंसान का घर हो जाएगा। 2026 तक देश में बूढ़े लोगों की संख्या 173 मिलियन हो जाएगी जबकि 2050 तक दुनिया के 80 फीसद बूढ़े भारत जैसे विकासशील देशों में रहेंगे। हेल्प एज इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का हर पांचवां बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता है। पिछले दो दशकों में इस संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह स्थिति अकेली महिलाओं के मामले में ज्यादा लागू होती है।

देश में तेजी से सामने आ रहे ऐसे मामलों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जो हर संभव उपाय खोजने में मदद करता। कमेटी ने यह महसूस किया कि एक ऐसी मजबूत मशीनरी को लाने की जरूरत है जो केन्द्र और राज्य सरकारों की सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को सक्षम बना सके। साथ ही इस बात की भी जरूरत महसूस की गई कि लाचार और उपेक्षित बूढ़े लोगों को मुख्यधारा में लाया जाय।

गौर कीजिए

62 फीसद बुजुर्ग मानते हैं कि बच्चों को जागरूक बनाने से ही उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है।

अतिथि संपादक

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इनमें निम्न शामिल हैं :

- लाभार्थी की उम्र-चाहे वह स्त्री हो या पुरुष- कम से कम 65 साल होनी चाहिए।
- आवेदक को बेघर और अकेला होना चाहिए अर्थात उसके पास आय का कोई निश्चित साधन न हो और न ही उसे उसके परिवार वालों से कोई आर्थिक मदद मिलती हो।
- केन्द्र सरकार पेंशन के तहत 200 रुपये प्रतिमाह देती है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसे लागू कराने का जिम्मा पंचायतों और नगर निगम का है। राज्यों में मिलने वाली राशि इस प्रकार है :

Name of the State	Current amount of pension (Rs per month)	Minimum age for eligibility (in years)
Andhra Pradesh	75	65
Arunachal Pradesh	150	60
Assam	60	65 (males) 60 (females)
Bihar	100	60
Gujarat	200-275	60-65+
Haryana	225	60
Himachal Pradesh	150	60
Jammu and Kashmir	125	60
Karnataka	100	65
Kerala	110	65
Madhya Pradesh	150	60 (males) 50 (females)
Maharashtra	100	65 (males) 60 (females)
Manipur	100	60
Mizoram	100	65 (males) 60 (females)
Orissa	100	65
Punjab	200	65 (males) 60 (females)
Rajasthan	200-300	58 (males) 55 (females)
Tamil Nadu	200	60
Uttar Pradesh	125	60
West Bengal	300	60
Chandigarh	200	65 (males) 60 (females)
Delhi	200	60

(Ministry of Rural Areas and Employment, NSAP Guidelines for State Governments)

माइक्रो फाइनांस

बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोन और माइक्रो फाइनांस की सुविधा दी जानी चाहिए। वैसी बूढ़ी महिलाओं को सरकारी प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए जो स्वयं सहायता समूहों के लिए काम करना चाहती हैं। इससे बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। ज्यादातर बूढ़ी महिलाओं के पास कोई न कोई विशिष्ट प्रकार की दक्षता होती है लेकिन राशि के अभाव में वे अपने हुनर को सामने नहीं ला पाती हैं। यहां पर माइक्रो फाइनांस उनके जीवन में बड़ा बदलाव वा सकता है। आर्थिक मदद मिलने के बाद वे अपने हुनर को निखार सकती हैं और इसका व्यावसायिक लाभ उठा सकती हैं। पुनर्वास और सशक्तीकरण द्वारा आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

अधिकारों के पूर्ण लाभ के लिए आर्थिक सशक्तीकरण जरूरी

क्या हम गरीबी की समस्या से पार पा सकते हैं ? आय कहां से अर्जित होगी और पेंशन को किस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है ? वर्तमान में 60 साल से अधिक के लोगों को 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन के तौर पर मिलते हैं जबकि 80 साल से अधिक के लोगों को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 500 रुपये मिलते हैं। हालांकि यह भी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ही मिल पाता है। देश की कुल 9.92 करोड़ बूढ़ी आबादी में से केवल 1.97 करोड़ बुजुर्गों को ही इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल पाता है। इसका मतलब है कि 60 साल से अधिक के पांच में से केवल एक बुजुर्ग को ही पेंशन मिल पाता है। वर्ष 2011 तक बूढ़े लोगों को मिलने वाला पेंशन अधिकतम 1000 रुपये-जो कि गोवा और दिल्ली में दिया जाता है-से लेकर 200 रुपये तक है जो कि बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में देय है। ऐसे में ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ऐसे तंत्र विकसित किये जाएं जिससे बूढ़े लोगों को भी रोजगार तलाश करने में मदद मिल सके। इससे अंततः समाज को ही फायदा होगा क्योंकि उसे बुजुर्गों के अनुभवों और क्षमता का फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा बुजुर्ग महिलाओं को भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन कंपनियों को टैक्स में छूट और सब्सिडी देनी चाहिए जो अपने यहां बुजुर्ग महिलाओं को रोजगार देते हैं।

गौर कीजिए

18 फीसद बूढ़े लोगों को बुजुर्गों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में पता नहीं है।

अतिथि संपादक

बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य प्रणाली

मौजूदा स्वास्थ्य तंत्र को हमें ज्यादा बुजुर्ग फ्रेंडली बनाने की जरूरत है और इसके लिए नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना होगा। स्वास्थ्य तंत्र आसान पहुंच वाला, बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील और कम खर्च वाला होना चाहिए। इसके लिए ज्ञान और दक्षता पर आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अपनाना होगा। बुजुर्गों की देखभाल करने वालों के लिए उपकरणों से लैस और उपयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र बनाने होंगे ताकि वे गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकें। बीमार बूढ़े लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को प्रशिक्षण के दौरान नर्सिंग और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है ताकि वे बुजुर्गों और खासकर महिलाओं की समस्याओं को भली-भांति समझ सकें।

बूढ़ी महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया जाना चाहिए जहां एक ही छत के नीचे वे अपने स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पा सकें और जरूरत की पूर्ति कर सकें (सलाह, काउंसिलिंग, पैथोलॉजिकल जांच इत्यादि)। इससे बूढ़ी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी नहीं होगी।

सम्मिलन

सरकारी विभागों, मंत्रालयों, स्थानीय निकायों, सिविल सोसाइटी और समाज के तमाम भागीदारों के बीच यह समन्वय ही है जो उन्हें किसी भी कार्यक्रम को कामयाब और समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार बनाता है। बुजुर्गों के लिये बनाई गई कल्याण योजनाओं की कामयाबी उसके अधिकतम सम्मिलन पर ही निर्भर करती है। योजनाओं को संचालित करने वाली एजेंसियों को हर योजना के बीच के संबंध को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है क्योंकि अकेले किसी एक योजना को चला पाना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। योजना को लागू करने में देरी होने पर इसे कानून का उल्लंघन मानकर दंड देना चाहिए।

बूढ़ी महिलाओं का सशक्तीकरण

बुजुर्ग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये हक पर आधारित प्रयासों की जरूरत है जो विधवाओं और बूढ़ी महिलाओं को मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए सक्षम बना सके। महिलाओं के कल्याण की बजाय उन्हें सशक्त बनाने पर फोकस होना चाहिए। बुजर्ग महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं की शायद ही कभी निगरानी होती है या उन्हें लाभुकों तक सरलता से पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार सेवाओं और अधिकारों की पहुंच को तय समय पर और अत्यधिक आसान बनाए।

- बुजुर्ग महिलाओं के लिए बनने वाली योजनाओं को सामूहिकता पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। साथ ही उनका लक्ष्य मानव जीवन की रक्षा करने और अत्यधिक संतोष प्रदान करने वाला होना चाहिए।

योजनाओं को कायम रहने वाली वृद्धि चाहिए और इनका लक्ष्य मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाओं के पुनर्निमाण का होना चाहिए। पहले से चली आ रही योजनाओं और कार्यक्रमों पर जो सवाल उठा सके, उनकी पड़ताल कर सके और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक असमानता को दूर कर बुजुर्गों की दशा सुधारने पर जो विचार कर सके, हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है।

- हमारे देश के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हर वर्ग की महिलाओं का जिक्र किया गया है लेकिन केवल बूढ़ी महिलाओं को छोड़ दिया गया है। ऐसे में जरूरी है कि जब भी संसाधनों के वितरण की बात हो या फिर विशेष आवंटन की तो उस समय इस वर्ग की महिलाओं पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है।
- लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए सशक्त नीति बनाने की जरूरत है क्योंकि यही महिलाओं, विशेषकर बूढ़ी महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा है।
- ग्रामीण इलाकों में रहने वाली वृद्धाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनका पढ़ा-लिखा न होना। ऐसे में वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने की जरूरत है और उसके लिए लगातार काम करने, जागरूकता अभियान चलाने और प्रचार करते रहने की जरूरत है।

निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है लेकिन आम तौर पर ये इतने महंगे होते हैं कि हर कोई इनका लाभ नहीं ले सकता है। ज्यादातर कम आय वर्ग वाले लोग स्थानीय निजी डॉक्टरों पर निर्भर रहते हैं लेकिन उनके पास भी मेडिकल उपकरण और खासकर संक्रमण से बचाव के उपकरण शायद ही कभी मिलते हैं। ऐसे में बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और उन्हें उन्नत करना प्राथमिक कार्य होना चाहिए। मेरे विचार से सीजीएचएस योजना इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे कारगर हो सकती है। फिलहाल यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर इसे हर वर्ग के लिए सुलभ बनाए जाने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल बुजुर्गों के हित में किया जा सकता है।

- डॉक्टरों की सुविधा, तत्परता और लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक

गौर कीजिए

बुजुर्गों की उपेक्षा और उनके साथ बदजुबानी सबसे ज्यादा घरों में पायी जाने वाली प्रताड़ना है।

अतिथि संपादक

के वृद्धों को बचाव, उपचार और पुनर्वास आधारित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना होना चाहिए।

- मानसिक तौर पर परेशान वृद्धों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के रोगियों का समय रहते ही उपचार शुरू किया जा सके।
- शोधों से यह साफ हो चुका है कि बूढ़े लोग पांच मुख्य तकलीफों से गुजरते हैं - हृदय रोग, मूत्राशय के रोग, डायबिटीज, जोड़ों के दर्द और हाइपरटेंशन। सरकार और उसकी एजेंसियों को इन परेशानियों से पार पाने की कोशिश करनी चाहिए।

बुजुर्गों के लिए बनी राष्ट्रीय नीति की अध्यक्ष होने के नाते सदस्यों ने जो सुझाव दिये वे सम्मिलित रूप से इस प्रकार हैं -

- सीनियर सिटीजन को मुख्यधारा में लाया जाय और उनके मामलों को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया जाय। पहले से बनी योजनाओं और तंत्रों को सरकार और सिविल सोसाइटी की मदद से प्राथमिकता से लागू करने पर विचार हो। बुजुर्गों की समितियों और उनके एसोसिएशन को प्रोत्साहन दिया जाय।
- अपने घर में बूढ़े होने की प्रवृत्ति का प्रसार हो तथा साथ ही आवास, आय की सुरक्षा, देखभाल की सुविधाएं, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान बनाया जाय ताकि बूढ़े लोगों के सम्मान और उनकी मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके।
- राष्ट्रीय नीति संस्थागत देखभाल को आखिरी विकल्प के रूप में देखती है। इसका मानना है कि बूढ़े लोगों का स्थान सिर्फ और सिर्फ उनके अपने परिवार में है जहां परिजन, समुदाय और सरकार की मदद से उनकी सबसे बेहतर देखभाल संभव है।
- नीति यह मानती है कि सीनियर सिटीजन देश के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं और उनके लिए ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो उन्हें समान रोजगार के अवसर दे सके और उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें समाज में समान रूप से सक्रिय बना सके। नीति कहती है कि राज्य अपने यहां के शहरी और ग्रामीण दोनों बुजुर्गों के लिए , जो गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हैं, योजनाएं बनाए।
- एनपीओपी के तहत रिटायरमेंट के बाद भी आय आधारित कार्यक्रमों में रोजगार के अवसर दिये जाएं।
- काउंसिलिंग, सहयोग और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय।

बुजुर्गों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीतियां

भारतीय संसद ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 को पारित किया है। यह एक्ट बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके बच्चों को उनकी देखभाल करने के लिए बाधित करता है। इसी तरह हर साल एक अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस और 15 जून को बुजुर्गों पर अत्याचार के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इन आयोजनों से बुजुर्गों के लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है। वयोशेष्ठ सम्मान : संबंधित मंत्रालय हर साल तेरह बुजुर्गों को सम्मानित करता है।

महिलाओं के अधिकारों को लागू करने में प्रभावी तत्व

1. अदालतों तक पहुंच आसान न होना। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपभोग के लिए अदालतों तक पहुंच को आसान बनाए जाने की जरूरत है।
2. मानवाधिकार आयोग और अन्य स्वतंत्र प्राधिकारों का सक्रिय होना। महिलाओं के अधिकारों को दिलाने और उनका उपभोग करने के लिए इन संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
3. कानूनी पहलुओं की जानकारी न होना। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को कानूनों और योजनाओं की जानकारी न होने से परेशानी बढ़ती है।
4. लिंग आधारित संसाधनों और संस्थाओं का अभाव होना।
5. गांवों की महिलाओं की आवाज बुलंद न होना।

निष्कर्ष

हमारे सपने आज भी उतने ही जायज हैं जितने कि सौ साल पहले थे। हमें अपनी मान्यता पाने के लिए संघर्ष करना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि महिलाओं के समस्त मुद्दे मुख्य रूप से राजनीतिक मुद्दे हैं और सत्ता के बदलाव के साथ जुड़े हुए हैं। इतनी नाजुक नींव पर जमीन से जुड़ी हुई शक्तिहीन महिलाओं को मजबूत बनाना और पारस्परिक सहयोग के आधार पर आगे बढ़ते रहने की सीख देना आने वाले समय के महिला आंदोलनों का लक्ष्य बनने वाला है। क्योंकि बिना इस मजबूती के प्रभावित करने और राजनीतिक प्रक्रियाओं को निर्देशित करने की उनकी क्षमता कुंद हो जाएगी। इसके कई उदाहरण भी हमारे सामने मौजूद हैं। अगर अब भी हमने उन उदाहरणों की उपेक्षा की तो इसका मतलब है कि हमने अतीत और वर्तमान से कुछ भी नहीं सीखा।

गौर कीजिए

दिल्ली-एनसीआर में बुजुर्गों पर अत्याचार के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं।

अनुक्रमणिका

संकल्पना

हमारी बात

- संपादकीय

अतिथि संपादक

- बुजुर्गों की स्थिति : भारतीय परिप्रेक्ष्य में
  डॉ. वी. मोहिनी गिरी

मुश्किल में बागवान

- बस एक नजर की मोहताज

संरक्षण

- बुजुर्गों के लिए सरकारी इंतजाम
- राष्ट्रीय नीति, 2011
- मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट, 2007

अतीत और वर्तमान

- मोल छूटती हुई विरासत का
  गिरीश चंद्र मिश्रा

मुंबई का हाल

- साठ के बाद : न काम, न पेंशन, न सुरक्षा
  डॉ. रोहिणी सुधाकर

जरा सोचो

- यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है
  दीपिका झा

नाकाफी

- बिहार : कानून और हालात

प्रयास

- घर नहीं तो घर से कम भी नहीं
- .... तेरे दरबार में भगवन

नानी-दादी

- क्या होगा इन 60 मिलियन तजुर्बों का

विधवाओं की नगरी

- वृंदावन : मोक्ष के नाम पर मौत

बेमिसाल

- जिंदगी की शाम या नया विहान !

पाठक मंच

- साथ रहने की कीमत चुका रहे मां-बाप
  उषा मिश्रा ठाकुर

मुश्किल में बागवान

बस एक नजर की मोहताज

अपनी पूरी जवानी अपने जवान होते बच्चों के नाम कर देने वाले जब बूढ़े होते हैं तो उनके जवान बच्चे उन्हें घर का बोझ मानने लगते है। दुनिया भर के विकसित देशों ने अपनी बुजुर्ग जनसंख्या की इस परेशानी को समझा है और उनके लिए कानून बनाये हैं लेकिन दुख इस बात का है कि दुनिया भर के संस्कारों से भरे हमारे अपने देश में ही बूढ़ी होती आबादी के लिये कोई उपाय नहीं किये गये हैं। और जो किये भी गये हैं वे इतने अप्रभावी हैं कि उनका अनुपालन करने की किसी को जरूरत ही महसूस नहीं होती।

वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा वो सच्चाई है जिसका सामना अमूमन हर किसी को करना ही पड़ता है। एक समय था जब बुढ़ापा सम्मान का वय होता था लेकिन वो समझ और सम्मान अब गुजरे जमाने की बात हो गई। बुढ़ापा अब सिर्फ अपमान और दुख का समय बन कर रह गया है। शायद इसीलिये फे वेल्डन ने कहा भी है कि बुढ़ापे जैसी कोई चीज नहीं, है तो बस दुख है।

पिछले दशकों में भारत सहित पूरे विश्व में बूढ़े लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हालांकि इसके साथ ही वृद्धि बूढ़े लोगों की संख्या में भी उतनी ही हुई है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.4 बिलियन तक होने की उम्मीद है जो इस वक्त 7.3 बिलियन है। इस दौरान विश्व में बुजुर्गों की आबादी 10.4 फीसद से बढ़कर 21.7 फीसद तक हो जाने की संभावना है। इनमें भी सर्वाधिक बुजुर्ग लोगों की संख्या में तो और तेजी से इजाफा होगा और इसके करीब 320 मिलियन तक हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में चिंता इस कांपती हुई आबादी को सहेजने की है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2002 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, घर की चारदीवारी के भीतर उम्रदराज महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामलों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। भारतीय परिवारों में अचानक से बढ़ीं ये घटनाएं अपेक्षाकृत नई और छिपे हुए रूप में हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय समाज में पैर पसारते इस नये अपराध को लेकर गहरी चिंता जताई है। उसके मुताबिक बुजुर्गों और खासकर वृद्ध महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है और सबसे दुखद यह है कि इन पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है।

वर्ष 2015 में एजवेल रिसर्च और एडवोकेसी सेंटर द्वारा किये गये एक अध्ययन में बताया गया कि बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण उनके प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। सेंटर ने पूरे देश से पचास हजार बुजुर्ग लोगों का सर्वे किया जिनमें 27,500 लोग गांवों और 22,500 लोग शहरों से चुने गये थे। यह सर्वे 26 राज्यों के 330 जिलों में कराया गया था। इसी तरह केवल दिल्ली में कराये गये एक शोध में पता चला कि बुजुर्ग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बिना योजना के बनाई गई और

बदलता परिवार

- बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ी
- विशेषकर अत्यधिक बुजुर्ग बढ़े
- अकेले रहने की प्रवृत्ति बढ़ती गई
- घरों का आकार छोटा होने लगा
- बूढ़े लोगों की देखभाल की प्रवृत्ति घटी

बदलती जरूरत

- बुजुर्गों की ज्यादा देखभाल
- आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- परिवार का हिस्सा बनाया जाय
- सामाजिक योजनाओं में मिले समुचित भागीदारी

गौर कीजिए

देश के बारह शहरों में हुए अध्ययन में पाया गया कि बुजुर्गों को प्रताड़ित करने में बहुएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

मुश्किल में बागवान

अपेक्षाकृत नयी कालोनियों में ज्यादा तेजी से बढ़े है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में करीब साढ़े छह लाख बुजुर्ग महिलाएं हैं। देशव्यापी सर्वे के मुताबिक, 89.38 फीसद बुजुर्ग महिलाओं ने माना कि परिवार में उनकी स्थिति पुरुषों के मुकाबले दोयम है। केवल 11.46 फीसद महिलाओं ने ही माना कि बुजुर्गो के मामले में लैंगिक भेदभाव मायने नहीं रखते हैं। अन्यथा हर दूसरी वृद्धा ने कहा कि महिला होने के कारण उन्हें उपेक्षा और अकेलापन झेलना पड़ता है। ठीक इसी तरह बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि परिवारों में पुरुषों की तुलना में उनकी सेहत पर ध्यान कम दिया जाता है।

ऐसे ही एक अध्ययन में संग्राम किशोर और विशाल कटरियाब ने कहा है कि बुजुर्गों पर होने वाले अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है लेकिन यह अभी भी छिपी हुई अवस्था में है। एक अपराध के रूप में यह अभी तक इसे मान्यता नहीं मिल पाई है। बुजुर्गो के खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बूढ़े लोगों के खिलाफ एक बार या बार-बार किये जाने वाले ऐसे काम जिनसे उन्हें नुकसान पहुंचे और जो करीब के रिश्तों में ही किये जाते हों, बुजुर्गों के प्रति अपराध कहे जाते हैं। ये अपराध किसी भी रूप में हो सकते हैं मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या वित्तीय। वर्ष 2011 में हेल्प एज इंडिया ने एक शोध के बाद बताया कि अपने देश में 60 फीसद बूढ़े लोगों को बोलकर, 48 फीसद बूढ़े लोगों को शारीरिक रूप से, 37 फीसद बूढ़े लोगों को भावनात्मक रूप से और 35 फीसद लोगों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बीस फीसद बुजुर्ग खुद को परिवार और समाज में उपेक्षित महसूस करते हैं। अध्ययन के मुताबिक, बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में धोखाधड़ी, अपमान और आपराधिक कृत्य प्रमुख हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक बहू द्वारा अपनी लाचार सास को प्रताड़ित किये जाने का वीडियो पूरे देश की मीडिया में छाया रहा। बहुत सारे लोगों को यह वीडियो दुखद लगा तो कुछ लोगों के लिये यह सिर्फ मनोरंजन का जरिया भी बना रहा लेकिन असल में यह वीडियो ढहती भारतीय सामाजिक संरचना और परिवारों की कमजोर पड़ती नींव की ओर इशारा करती है। भारतीय परिवारों में बुजुर्गों और खासकर बूढ़ी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाएं यदि बूढ़ी होने के साथ-साथ विधवा भी हैं तो यह उनके लिये ज्यादा दर्दनाक साबित होता है। एक तो वैसे ही भारतीय परिवारों में महिलाएं ज्यादातर पुरुषों पर निर्भर होती हैं और परिवार पर बोझ न पड़े इसके लिये अपनी स्वास्थ्य परेशानियों को किसी से भी साझा करने से परहेज करती हैं तिस पर भी यदि वे विधवा हैं तो उनकी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। पति की मौत हो जाने के बाद उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों के लिये पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। ऐसे में कई बार बच्चे ही निर्णय करते हैं कि उनकी मां को डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर मध्य या निम्न मध्य परिवारों में बहुओं द्वारा बूढ़े सास-ससुर को प्रताड़ित करने की घटनाएं भी सामने

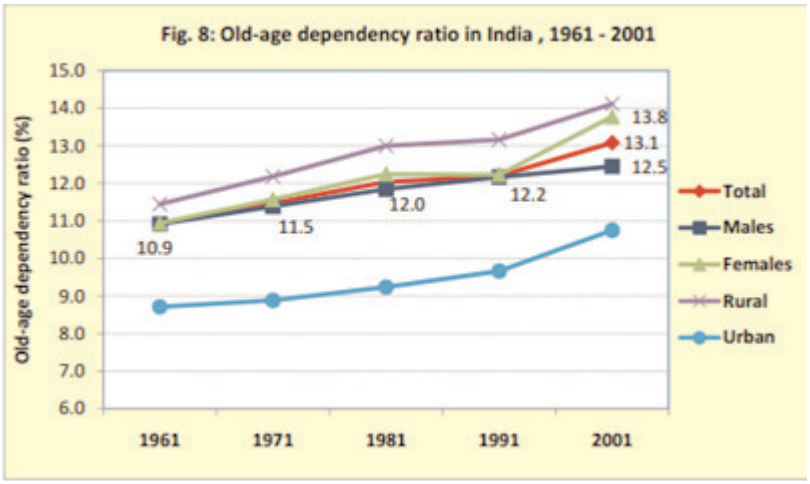

स्रोत : जीकेटुडे.इन

आती हैं। विशेषकर महिलाओं की रक्षा के लिये बनाये गये घरेलू हिंसा कानूनों का गलत इस्तेमाल कर सास-ससुर को परेशान करने के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा निम्न वर्ग के घरों में जगह की कमी भी कई बार घर के बूढ़े सदस्यों के लिये परेशानी का सबब बनते देखे गये हैं। नई पीढ़ी को ज्यादा जगह मिले इसके लिये पुरानी पीढ़ी को छोटे और बेकार पड़ी जगह में शिफ्ट करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है। इस तरह जहां निम्न और मध्य वर्ग में पैसा और जगह बूढ़े लोगों को उपेक्षित करने की वजह बन रहे हैं तो वहीं उच्च वर्ग में बच्चों द्वारा छोड़ दिये जाने के कारण अकेलापन के शिकार बूढ़े लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे लोग असुरक्षा, रोग और अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं। सबसे दुखद यह है कि बूढ़े लोग अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में किसी से बात भी करना नहीं चाहते क्योंकि इससे उन्हें अपने परिवार की बेइज्जती होने का डर सताता रहता है।

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा है कि जब एक राष्ट्र की सात फीसत से ज्यादा की आबादी 60 साल से अधिक उम्र की हो जाय तो उस राष्ट्र को बूढ़ा कहा जा सकता है और भारत

गौर कीजिए

मां-बाप पर अत्याचार के 59 फीसद मामलों में बेटों का हाथ होता है जबकि केवल 7 फीसद में बेटियां शामिल होती हैं।

मुश्किल में बागवान

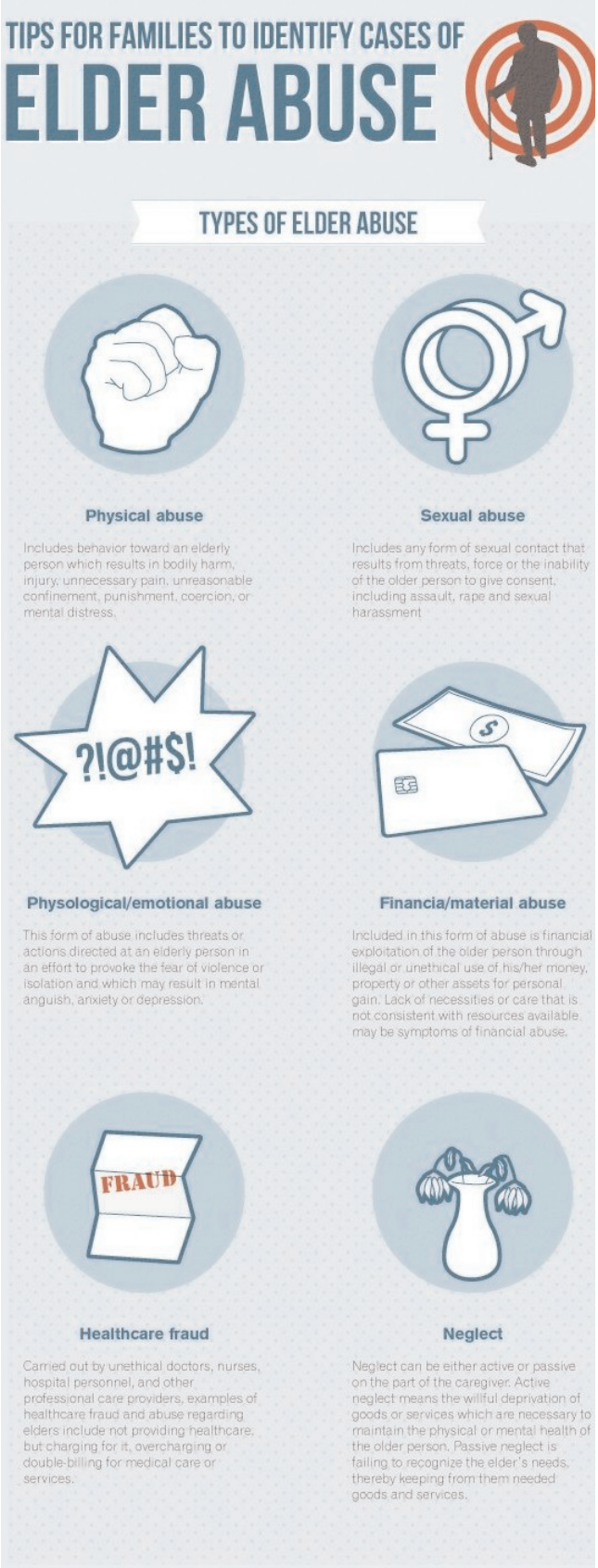

तो वर्ष 2000 में ही इस सीमा को पार कर चुका है। 2025 तक यहां की बूढ़ी आबादी 12.6 फीसद तक पहुंच जाने की संभावना है। ऐसे में भारत को एक बूढ़ा होता देश कहा जा सकता है। ऐसे देशों के साथ विडंबना यह है कि यहां कमाने वालों से ज्यादा लोग खाने वाले होते हैं। करीब 60 से 75 फीसद बुजुर्ग आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं। ग्लोबल जर्नल ऑफ मेडिसीन एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बदलती पारिवारिक संरचनाओं के कारण बूढ़े लोगों की स्थिति में गिरावट आई है। शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति के कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे और एकल परिवारों का चलन बढ़ने लगा। पहले से ही भीड़-भाड़ वाले शहरों में गांवों और कस्बों से आने वाले लोगों के लिये न तो रहने और न ही कमाने के बेहतर साधन जुटाये जा सके। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और पुनर्वास की सुविधाओं से मरहूम इस आबादी के लिये बुढ़ापा मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई। पहले जहां संयुक्त परिवार होने से किसी भी परिस्थिति का सामना पूरा परिवार मिलकर करता था वहीं एकल परिवार होने से पूरा बोझ किसी एक सदस्य पर ही आ गया। जो बुजुर्ग पहले परिवार की रीढ़ माने जाते थे वही बूढ़े लोग अब बोझ माने जाने लगे क्योंकि वे अब कमाने वाले नहीं बल्कि खाने वाले सदस्य बन कर रह गये थे। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि देश में हर दस बुजुर्ग दंपति में से छह को उनके बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं और जब इन्हें कहीं सहारा नहीं मिलता है तो विवश होकर वृद्धाश्रमों का सहारा लेना पड़ता है जहां स्वास्थ्य और सम्मान की कोई गारंटी नहीं होती। ये भी विडंबना ही है कि पश्चिमी देशों में जहां मां-बाप अपने बच्चों को वयस्क होने के साथ ही छोड़ देते हैं वहीं भारत में बच्चे ही अपने माता-पिता को बोझ मानकर उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। वो भी उस समय में जब उन्हें बच्चों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक अनुमान के मुताबिक 40 फीसद बुजुर्गों को उनके बच्चे किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करते हैं लेकिन छह में से केवल एक मामला ही घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सामने आता है। हेल्प एज इंडिया की रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ दि एल्डरली इन इंडिया 2014' के मुताबिक हर रोज पांच में से एक बुजुर्ग को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, एक सप्ताह में तीसरे और एक महीने में हर पांचवें बुजुर्ग को किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। यूएनडीपी के मुताबिक, वर्ष 2050 तक भारत में 80 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 48 मिलियन लोग हो जाएंगे जबकि 60 साल से अधिक के अधिक उम्र के करीब 324 मिलियन लोग हो जाएंगे। यह संख्या पूरी अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है। हेल्पएज के मुताबिक देश में बुजुर्गों की जनसंख्या सात सौ फीसद की दर से बढ़ रही है।

समय बदल रहा है और उस हिसाब से जरूरत भी बदल रही है। बूढ़े लोगों के संरक्षण की जरूरत है। नियमों को उनके हिसाब से बनाने और क्रियान्वित करने की जरूरत है। अब तक जिस पक्ष को नजरअंदाज करते आ रहे थे, उसकी ओर न केवल ध्यान देने बल्कि डट कर और पूरी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है।

गौर कीजिए

बुजुर्गों पर प्रताड़ना के 38 फीसद मामलों में बेटे होते हैं तो 39 फीसद मामलों में बहुओं का हाथ होता है।

बुजुर्गों के लिए सरकारी इंतजाम

पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बूढ़े लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाने लगा है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक संरक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्र व राज्य सरकारों ने कई कानूनी प्रावधानों और योजनाओं को भी लागू किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीने की आजादी प्रदान करना है।

संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले 1982 में वियना में बुजुर्गों के लिये अंतरराष्ट्रीय एक्शन प्लान को मंजूरी दी थी। 1991 में जेनरल असेम्बली ने बुजुर्गों के लिये यूएन के सिद्धांतों को मंजूरी प्रदान करते हुए इसकी चार मुख्य बातों को अपनाया। इनमें आजादी, सहभागिता, देखभाल और मर्यादा और स्वाभिमान शामिल हैं। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कमेटी ने भी बुजुर्गों के लिये निर्धारित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को अपनाया।

वर्ष 1999 को जबकि उस साल को बुजुर्गों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, बूढ़े लोगों के हित में चार मुख्य योजनाओं और सिद्धांतों को अपनाया गया। इनमें बुजुर्गों की स्थिति, प्रति व्यक्ति जीवन विकास, पीढ़ियों के बीच का संबंध और आबादी का अंतर संबंध व विकास शामिल है। इस तरह अंततः 2002 में मैड्रिड में बुजुर्गों पर हुए वर्ल्ड असेम्बली में एक राजनीतिक घोषणापत्र और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक प्लान को मंजूरी दे दी गई। 2004 में महासचिव ने जनरल असेम्बली को अपने सुझाव में कहा कि बुजुर्गों के लिये एक फुल टाइम योजना बने जो संसाधनों और योजनाओं को लागू करने की प्रतिबद्धताओं से परिपूर्ण हो। इसके बाद से ही हर साल एक अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है।

राष्ट्रीय नीति : एनपीओपी

वर्ष 1999 में केन्द्र सरकार ने बुजुर्गों को सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार देने के उद्देश्य के साथ एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जिसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को लक्ष्य बनाया गया। इस नीति के तहत 60 साल से अधिक के लोगों को सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग की श्रेणी में रखा गया और तदनुसार नीतियों और कानूनों को अमली जामा पहनाया गया। बुजुर्गों के लिये राष्ट्रीय नीति परिवारों को इस बात के लिये उत्साहित करती है कि वे अपने घर के बूढ़े लोगों के साथ भेदभाव न करें और उनकी समुचित देखभाल करें। यह नीति कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों को भी प्रोत्साहित करती है कि वे बूढ़े लोगों की देखभाल करने के लिये लोगों को उत्साहित करें और समाज द्वारा ठुकराये गये लोगों को खुद भी सुरक्षा प्रदान करें। नीति के तहत जिन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है उनमें वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय, कल्याण, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा शामिल है। इस नीति के तहत बुजुर्गों को कई क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान की जाती है। कहा जाय तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को पूरी आजादी देना है। बुजुर्गों के लिये राष्ट्रीय नीति के तहत कई अन्य नीतियों को भी अपनाया गया है जिनमें निम्न शामिल हैं

1. प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना ताकि सही समय पर बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाया जा सके।
2. उम्रदराज लोगों को सही इलाज मिल सके इसके लिये पारा मेडिकल और मेडिकल कर्मचारियों को समुचित ट्रेनिंग प्रदान करना।
3. अधिक उम्र तक जीने के उपाय बताना।
4. अस्पतालों में बुजुर्गों के लिये अलग कतार और बिस्तरों की व्यवस्था करना।
5. अंत्योदय योजना के तहत बुजुर्गों के लिये खाद्यान्न में अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था करना।

नेशनल काउंसिल : एनसीओपी

देश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिये एक राष्ट्रीय काउंसिल का भी गठन किया है जो कई प्रकार से सीनियर सिटीजन की मदद करता है।

1. बुजुर्गों के लिये योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में सरकार की मदद करता है
2. बुजुर्गों के लिये बनाये गये कार्यक्रमों के बारे में सरकार को फीडबैक और सुझाव देता है

गौर कीजिए

2014 के सर्वे के मुताबिक मुंबई में 92 फीसद बुजुर्गों ने बहुओं पर लगाया प्रताड़ना का आरोप।

3. बुजुर्गों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिये उचित मंच प्रदान करता है
4. बूढ़े लोगों को सरकारी व निजी योजनाओं में दी जाने वाली छूट और विशेष लाभ समुचित रूप से मिल सके इसकी पूरी व्यवस्था करना
5. बुढ़ापे को उत्पादक और उत्साही बनाने के लिये प्रयास करना
6.अलग-अलग पीढ़ी के लोगों के बीच के संबंधों को मधुर बनाये रखने के लिये प्रयास करना
7. बूढ़े लोगों के हित में किये जाने वाले कामों को ध्यान में रखना

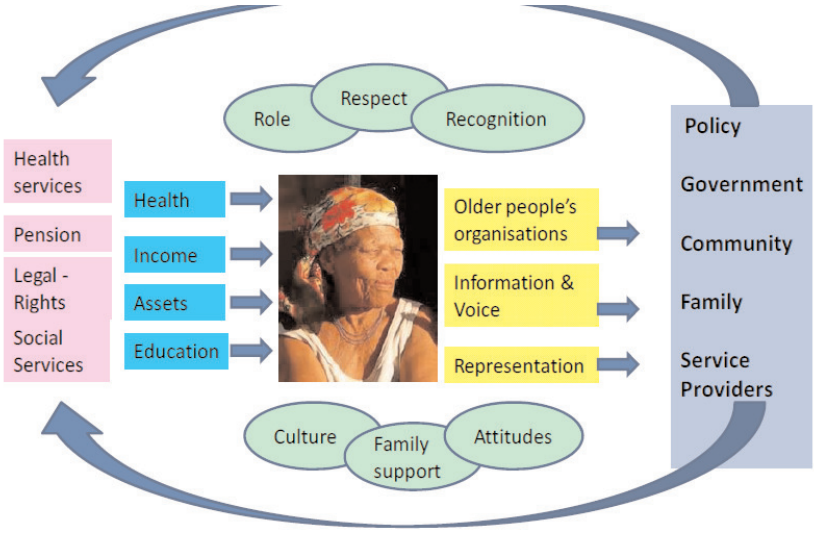

स्रोत : हेल्प एज इंटरनेशनल

एकीकृत योजनाएं : आईपीओपी

केन्द्र सरकार बुजुर्गों के लिये काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को योजनाओं की नब्बे फीसद राशि तक का भुगतान करती है। इस राशि का इस्तेमाल वृद्धाश्रमों के निर्माण, डे केयर सेंटर बनाने, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट और बुजुर्गों को गैर संस्थागत सुविधाएं मुहैया कराने में किया जाता है। मंत्रालय ने इस स्कीम की शुरुआत 1992 में की थी। इसका मकसद एनजीओ व अन्य संस्थाओं को बूढ़े लोगों की मदद करने के लिये प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2008 में इस योजना में संशोधन कर न केवल इसके तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ा दिया गया बल्कि स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं व अन्य निकायों को भी इसके दायरे में ले आया गया।

इसके अलावा कई अन्य योजनाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है

1.लगातार चलने वाले आश्रमों की देखभाल करना
2.डेमेंटिया और अल्जाइमर के रोगियों की देखभाल के लिये डे केयर सेंटरों का निर्माण करना
3.बूढ़े लोगों के लिये फीजियोथेरेपी सेंटर खोलना
4.हेल्पलाइन और काउंसिलिंग सेंटर खोलना
5. स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को जागरूक बनाने के लिये कार्यक्रम बनाना
7. क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र खोलना
9. बुजुर्गों की देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देना
10. बुजुर्गों के लिये भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करना
11. सीनियर सिटीजन के लिये एसोसियेशन का निर्माण करना

भारतीय संविधान

इसके अलावा भारतीय संविधान में भी बूढ़े लोगों और खासकर कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिये समुचित उपाय किये गये हैं। सूची तीन की अनुसूची सात में कहा गया है कि कामगारों के हित में, कार्य करने की स्थितियां, प्रोविडेंट फंड, क्षतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति और वृद्धावस्था पेंशन आदि का अधिकार दिया जाता है। इसके साथ ही राज्यों की सूची में आइटम नंबर 9 और 20, 23 और 24 में भी वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा और आर्थिक आजादी देने की बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्व के धारा 41 में भी साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यों को अपनी सीमा के तहत बुजुर्गों की सहायता और सुरक्षा के लिये समुचित प्रबंध करने होंगे।

वित्त मंत्रालय

वर्ष 2014-15 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के सीनियर सिटीजन के लिये कई घोषणाएं कीं। इनमें आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख करने और 80 वर्ष और उससे अधिक के लोगों के लिये एक और वर्ग 'वेरी सीनियर सिटीजन' के नाम से शुरू कर उन्हें 5 लाख तक की आयकर छूट प्रदान करना शामिल रहा। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट, 1992 के तहत 65 वर्ष और उससे अधिक के लोगों को 15,000 रुपये तक की छूट देने का भी प्रावधान है। सीनियर सिटीजन को आयकर भरते समय 'वन बाई सिक्स' स्कीम से भी मुक्त रखा गया है। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बूढ़े लोगों के लिये बचत योजनाओं में अधिक से

गौर कीजिए

46 फीसद बुजुर्गों ने कहा कि वे पिछले तीन और पांच साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं।

अधिक ब्याज दर निर्धारित करने का भी निर्देश देकर रखा है। इसके तहत बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिये ब्याज दर बाकियों से आधा फीसद ज्यादा रखा जाता है। आयकर फार्म भरने और जमा करने के समय भी बूढ़े लोगों के लिये अलग लाइन की व्यवस्था की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर कहा है कि अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन और जांच के समय बुजुर्गों के लिये अलग कतार होनी चाहिये ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

रेलवे व विमान

भारतीय रेलवे भी सीनियर सिटीजन को कई तरह की सुविधा देता है। सभी प्रकार की ट्रेनों में सीनियर सिटीजन को 30 से 40 फीसद तक की छूट दी जाती है। इसके अलावे उनके लिये नीचे की बर्थ की व्यवस्था करने और टिकट बुकिंग और रद्द कराने के दौरान भी अलग काउंटर की व्यवस्था की जाती है। पुरुषों को 60 वर्ष और महिलाओं को 58 वर्ष की उम्र से सीनियर सिटीजन का लाभ मिलने लगता है। इसी प्रकार इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज सीनियर सिटीजन को सभी घरेलू विमानों के इकोनोमी क्लास में 50 फीसद तक की छूट देता है।

बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति 2011

एक आंकड़े के मुताबिक, देश में 51 मिलियन बुजुर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। केन्द्र सरकार ने देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और उन्हें होने वाली परेशानियों को समझा और उसके मुताबिक पहले से चली आ रही नीति में बदलाव को जरूरी पाया। 2011 में बुजुर्गों के लिए नई राष्ट्रीय नीति का ऐलान किया गया जो 1998 की नीति का ही नया रूप था। नई नीति में जिन बातों को शामिल किया गया उनमें निम्न शामिल हैं :

1. बुजुर्गों और खासकर बूढ़ी महिलाओं के मुद्दों को मुख्यधारा में लाया गया। पहले से स्थापित मशीनरी को दुरुस्त करने और बुजुर्गों के संरक्षण के विषय को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया गया।
2. घर के अंदर बूढ़े हो रहे लोगों की सुरक्षा, आवास सुविधा, आय की गारंटी, स्वास्थ्य बीमा और अन्य कार्यक्रम चलाया जाय जिससे बूढ़े लोगों का सम्मान बना रहे। नीति का उद्देश्य बचाव होना चाहिए न कि उपचार।
3. नीति बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संस्थागत उपाय को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखना चाहती है क्योंकि उसका मानना है कि बूढ़े लोगों की रक्षा के लिए परिवार ही सबसे प्राकृतिक और सटीक स्थान है और समुदाय व सरकार इसमें उसकी मदद कर सकते हैं।
4. मैड्रिड प्लान ऑफ एक्शन का सहभागी होने के नाते भारत अवरोध रहित और बुढ़ापा फ्रेंडली वातावरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
5. बुजुर्गों को देश के विकास में समान रूप से भागीदार मानते हुए उन्हें समान अधिकार और रोजगार के समान अवसर देने की कोशिश की जाय। इसके लिए राज्यों से कहा गया है कि वे भी अपने यहां इस नीति को लागू करें और शहरों और गांवों में रहने वाले बुजुर्गों, खासकर उन्हें जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं, को स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी दे।
6. शहरी एवं गांवों दोनों जगह के बूढ़े लोगों के लिए दीर्घकालीन और भरोसेमंद बीमा योजना लागू किया जाय ताकि बुजुर्गों को किसी विपत्ति से न गुजरना पड़े।
7. रिटायर होने के बाद भी बुजुर्गों के लिए आय आधारित रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश करना।
8. बूढ़े लोगों की काउंसिलिंग और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें मदद करना।
9. राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि वे 2007 के एक्ट के तहत अपने यहां ट्रिब्यूनल का गठन करें ताकि पीड़ित बुजुर्ग न्याय के लिए गुहार लगा सकें।
10. देश के हर राज्य और हर जिले में घर से निकाले गए बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाए जाएं।

गौर कीजिए

करीब चार फीसद बूढ़े लोग पिछले पंद्रह साल से लगातार अपमान और प्रताड़ना झेल रहे हैं।

संरक्षण

मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट, 2007

देश में बुजुर्गों के सम्मान और अधिकारों पर प्रहार जब बढ़ने लगे तो एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो उनके लिए संरक्षक का काम कर सके। वर्ष 2007 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट को मूर्त रूप दिया जा सका।

•यह कानून माता-पिता को अपने बच्चों से सुरक्षा और देखरेख का अधिकार दिलाता है। इसके अलावा इसमें बुजुर्ग अभिभावकों की संपत्ति की रक्षा के लिये भी बेहद प्रभावी प्रावधान किये गये हैं।

•अभिभावकों के तहत माता-पिता, चाहे वे जैविक हों, गोद लिये हुए या फिर सौतेले, सभी आते हैं। इसके अलावा उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो यह भी जरूरी नहीं है।

•इस एक्ट के अंतर्गत जो एक और अच्छी बात है वो ये है कि शिकायत और आवेदन कोई भी व्यक्ति या सामाजिक संस्था कर सकती है, यदि अभिभावक या माता-पिता लाचार हों या आवेदन करने की स्थिति में न हों।

•इसके साथ ही ट्रिब्यूनल को स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार दिया गया है।

•यह कानून कम खर्चे में और जल्दी न्याय दिलाने के उद्देश्य से काम करता है और बच्चों को अपने माता-पिता की देखरेख और उनका खर्चा उठाने के लिये बाध्य करता है।

•इस कानून की सबसे बड़ी खासियत है कि यह आवेदक की संपत्ति की रक्षा की पूरी गारंटी देता है।

•यह कानून बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड एज होम के निर्माण के भी निर्देश देता है।

•जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर यह कानून पूरे देश में समान रूप से लागू है।

•कानून के तहत बच्चों का मतलब बेटा, बेटी, पोता, पोती, शामिल हैं लेकिन इसमें नाबालिग बच्चे शामिल नहीं हैं।

इस कानून के अंतर्गत, उन सभी सीनियर सिटीजन को आवेदन का अधिकार है जो खुद अपनी रक्षा करने और अपना भार उठा पाने में असमर्थ हैं। उनके बच्चों को माता-पिता की रक्षा करने के लिए बाधित किया जाता है। सीनियर सिटीजन के रिश्तेदार भी उनकी देखरेख करने के लिए बाध्य हैं।

•आवेदन प्राप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर उसकी सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि ट्रिब्यूनल चाहे तो इसे अधिकतम 30 दिनों के लिए और बढ़ा सकती है। सुनवाई जारी रहने के दौरान भी बच्चों को खर्चा देने के लिए कहा जा सकता है।

•ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी यदि बच्चे खर्चा उठाने को राजी नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है और पूरी राशि जुर्माने के तौर पर जमा करने को कहा जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर बच्चों को एक महीने की कैद भी हो सकती है।

•खर्चे के लिए आवेदन किसी भी जिले में दाखिल किया जा सकता है। मामाले की सुनवाई आरोपी बच्चों के सामने ही होती है।

•खर्चे के लिए अधिकतम राशि दस हजार रुपये मासिक तक हो सकती है।

•ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि परिस्थिति के अनुसार वह किसी भी आदेश को रोक सके, बदल सके या रद्द कर सके।

गौर कीजिए

2013 की रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों के रहने लायक देशों में भारत 73वें स्थान पर था।

•ट्रिब्यूनल को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह खर्चे की राशि में ब्याज की रकम भी जोड़ दे। ब्याज की राशि 5 फीसद से कम और 18 फीसद से अधिक नहीं हो सकती है।

•ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद सीनियर सिटीजन चाहें तो 60 दिन के भीतर अपीली प्राधिकरण में भी याचिका दे सकते हैं।

•एक्ट के लागू हो जाने के बाद यदि किसी वृद्ध ने अपनी संपत्ति किसी के नाम स्थानांतरित की हो, चाहे वह चल हो या अचल, और संपत्ति पाने वाले ने वृद्ध की उपेक्षा करनी शुरू कर दी हो तो संपत्ति का स्थानांतरण अवैध और समाप्त माना जा सकता है।

•इस कानून के बनने के पहले यदि सीनियर सिटीजन ने अपनी संपत्ति किसी के नाम कर दी है और संबंधित व्यक्ति बुजुर्ग की देखभाल नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति विशिष्ट की श्रेणी में आ जाती और वृद्ध का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। लेकिन 2007 के कानून के पारित हो जाने के बाद उपराक्त स्थिति उत्पन्न होने पर वृद्ध अपनी संपत्ति पर पुनः दावा कर सकता है।

•ऐसे मामलों के निबटारे में पुलिस को भी तत्परता दिखाने और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है।

•अदालत में सुनवाई के दौरान बुजुर्गों को मौजूद रहने से छूट दी गई है।

अटल पेंशन योजना, 2015

देश के 47.29 करोड़ श्रम शक्ति में से 88 फीसद असंगठित क्षेत्र से आते हैं। ऐसे लोगों के लिए न तो कोई नियमित पेंशन योजना है और न ही सुनियोजित सुरक्षा नीति। मौजूदा मोदी सरकार ने असंगठित श्रमिकों की परेशानी को समझा है और एक नई अटल पेंशन योजना लेकर आई है। एक जून, 2015 से प्रभावी यह योजना कामगारों के बड़े वर्ग को उक्ष्य करती है और इसका लाभ 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग उठा सकते हैं। इस योजना को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की स्वावलंबन योजना के स्थान पर लाया गया है। इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए सरकार जिम्मेदार होगी और वह योजनाधारक की ओर से 50 फीसद या एक हजार रुपये, इनमें से जो कम हो, तक का अंशदान प्रतिवर्ष पांच वर्ष तक करेगी। योजना से जुड़ने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम एक हजार रुपये पेंशन जरूर मिलेगी जबकि अंशदान और योजना से जुड़ने की आयु के आधार पर यह राशि अधिकतम पांच हजार तक भी हो सकती है। वर्तमान में जारी स्वावलंबन योजना के लाभार्थी स्वतः अटल पेंशन योजना से जुड़ जाएंगे। इस योजना से जुड़ने के लिए भारत का नागरिक होना और अधिकतम 40 वर्ष का होना जरूरी है। इसके अलावा बचत खाता और मोबाइल नंबर का होना भी जरूरी है।

बुजुर्गों के लिए अन्नपूर्णा योजना

यह योजना उन बुजुर्गों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी जिन्हें किसी वजह से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और बिहार में यह वर्ष 2002-2003 में लागू की गई। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को समुचित मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना है। इसके सफल संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नोडल ऑफिसर बनाया गया है जबकि गांवों में ग्राम पंचायतों को इसकी सफलता के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। बिहार सरकार के मुताबिक करीब 1.66 लाख बेघर बुजुर्गों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा चुका है। इसमें बेघर बुजुर्गों को हर महीने दस किलोग्राम अनाज, जिसमें 6 किलो आटा और 4 किलो चावल शामिल है, मुफ्त वितरण करने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं जिनमें निम्न शामिल हैं :

•लाभार्थी की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

•साथ ही उसकी देखरेख और आय के कोई साधन न हो।

लाभार्थियों की पहचान का काम गांवों में ग्राम सभा को और शहरों में नगर निगम को दिया गया है। ग्राम सभा लाभार्थियों की सूची को ग्राम पंचायत को सौंपती है और ग्राम पंचायत लाभार्थी को कार्ड सौंपती है।

गौर कीजिए

91 देशों की सूची में श्रीलंका 36वें जबकि नेपाल 77वें स्थान पर रहा।

मोल छूटती हुई विरासत का

क्या आज की पीढ़ी में वो क्षमता, धैर्य और साहस है जो उन्हें झुर्रीदार चेहरों के पार देखने को प्रेरित कर सके। जो उन्हें अपने सामने से गुजरती एक पूरी विरासत का मोल समझा सके और बूढ़े लोगों को बजाय गिरती काया और बढ़ते बोझ के रूप में देखने के उन्हें दुर्लभ संपत्ति के रूप में दिखा सके !

श्री गिरीश चंद्र मिश्र

(राज्य प्रमुख बिहार-झारखंड
हेल्प एज इंडिया)

"वृद्धों के प्रति बर्ताव को देखकर किसी व्यक्ति की परख की जा सकती है। बच्चों को प्यार करना आसान है। यहां तक कि उत्पीड़क और तानाशाहों को भी बच्चों से लगाव हो जाता है। लेकिन बूढ़े, असहाय और लाइलाज लोगों से जुड़ाव होना ही किसी संस्कृति की सच्ची स्वर्णिम पहचान है।" अब्राहम जोशुआ हेशेल की ये मशहूर पंक्तियां बुजुर्गों को लेकर हमारी राय को दोबारा विचारने और हमारी रोज की दिनचर्या की पुनः विवेकपूर्ण समीक्षा करने को विवश करती हैं।

कहा जाता है कि युवा किसी देश के भविष्य होते हैं। इसलिए यदि वर्तमान और भविष्य दोनों को बुजुर्गों के रहने लायक बनाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि युवाओं के दिमाग को खंगाला जाय। बूढ़े लोगों के प्रति उनके नजरिये को समझा जाय क्योंकि तभी हम उन्हें बुजुर्गों के बारे में सोचने और उनके लिये काम करने को प्रेरित कर सकते हैं। आज की भागमभाग वाली जिंदगी में हमारे पास खुद के बारे में सोचने का भी समय नहीं है। कार्य संस्कृति और एकल परिवार के चलन ने हमें उस माहौल से बहुत दूर कर दिया है जहां एक समय में हम रहा करते थे। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने दादा-दादी के यहां जाते और दादा जी उन्हें वीर नायकों की कहानियां सुनाते, ये सब अब केवल दंत कथाओं में ही मौजूद हैं। आज के बच्चे हाईटेक और तेज रफ्तार वाले गैजेट के बीच बढ़ते हैं जो उस दुनिया से बिल्कुल अलग है जिसमें कभी उनके माता-पिता पले-बढ़े थे। परिवारों की इस अति गतिशील जीवन शैली के कारण न केवल अलगाव बढ़ रहे हैं बल्कि एक ही घर में युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत के मौके भी कम होते जा रहे हैं। ज्यादातर घरों के दादा-दादी बहुत दूर गांवों में रहते हैं और विशेष आयोजनों पर जब बच्चे वहां जाते भी हैं तो उनमें बहुधा बातचीत नहीं ही होती है। घरों में परंपरागत रूप से प्रवाहित होने वाले आचार और व्यवहारों के लिए भी अब घर से बाहर के लोगों से सीख ली जा रही है। बड़े-बूढ़ों का आदर करना, युवा होते बच्चों को सलीके से रहना और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी एवं दक्षता के बारे में भी अब बाहर के लोग बताते हैं। अपने ही घर के लोगों के साथ बातचीत और विचारों का सम्मिलन न होने से बच्चे पिछली पीढ़ी के बारे में गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं और कह सकते है कि लकीर के फकीर बने रह जाते हैं।

ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज की पीढ़ी में वो क्षमता, धैर्य और साहस है जो उन्हें झुर्रीदार चेहरों के पार देखने को प्रेरित कर सके। जो उन्हें अपने सामने से गुजरती एक पूरी विरासत का मोल समझा सके और बूढ़े लोगों को महज गिरती काया और बढ़ते बोझ के रूप में देखने के उन्हें दुर्लभ संपत्ति के रूप में दिखा सके !

जैसा कि हर स्थिति में होता है इस परिदृश्य के भी सिक्के की तरह दो पहलू हैं। पारंपरिक घरों में जहां आज भी सदस्यों में मतैक्य है, सबसे बुजुर्ग सदस्य ही परिवार का मुखिया होता है और सारे अधिकार एवं नियंत्रण उसके हाथों में होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी राय ली जाती है और जरूरत पड़ने पर फैसलों में बदलाव भी किये जाते हैं। ऐसे घरों के बच्चों में बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक भाव होता है। लेकिन शहरी घरों में

गौर कीजिए

बुजुर्गों के लिए असुरक्षित देशों में भारत के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश ही आते हैं।

यह नजारा अब बिड़ले ही दिखता है क्योंकि वहां का हर वयस्क जिंदगी की जंग में जुटा रहता है। कड़ी मेहनत और दफ्तरों में काम के लंबे घंटे जीवन शैली के अंग बन गये हैं। शायद हमने पश्चिमी कार्य संस्कृति को अपना लिया है और अब रिश्तों को लेकर उनके स्टाइल की भी नकल करते जा रहे हैं। उन घरों में बुजुर्गों को केवल शो पीस की तरह घर में रखा जाता है क्योंकि उनके मुताबिक जो कमाता है केवल वही सही निर्णय लेने का अधिकारी होता है। उन घरों के बच्चे बुढ़ापे को अंत मान लेते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां कोई यह नहीं पूछता "आपका दिन कैसा रहा।"

भारत की सांस्कृतिक विरासत संपन्न रही है लेकिन अफसोस कि पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करने के फेर में हम अपनी नैतिकता को भूलते जा रहे हैं। जिस धरती पर माता-पिता को ईश्वर का रूप समझा जाता था आज उसी धरती पर वृद्धाश्रम बनवाये जा रहे हैं। पर याद रहे ! समय किसी को नहीं छोड़ता। वक्त गुजरेगा और आज के युवा जैसे ही बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखेंगे उनकी क्रूरता उन्हीं को ले डूबेगी। मां-बाप को देखकर बड़े हुए बच्चे उनके साथ भी वही बर्ताव करेंगे जो उनके दादा-दादी के साथ किया गया था। जैसे दादा-दादी को घर से बेघर कर दिया गया था वैसे ही उन्हें भी निकाल बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच जो सबसे ज्यादा नुकसान झेलेगा वो होगी नई पीढ़ी क्योंकि बूढ़ों का तो केवल घर छूटेगा लेकिन युवाओं के हाथ से तो पूरी विरासत फिसल जाएगी।

एक मंच पर बूढ़े और जवान

हेल्प एज इंडिया ने हेल्प यूनाइट जेनरेशन्स के नाम से एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जिसके जरिये बूढ़े और जवान दोनों पीढ़ियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाती है। यह कार्यक्रम देश के कई शहरों में शुरू किया जा चुका है। इसके तहत दोनों पीढ़ियों के लोग मिलते हैं, बातें करते हैं और एक-दूसरे को एचयूजी (हग) बैंड बांधते हैं। इस दौरान वे एक-दूसरे का पता लेते हैं और कई बार आगे भी संपर्क में रहते हैं। हेल्प एज बूढ़े लोगों के साथ समय बिताने के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा है। एचयूजी अभियान युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वे बुजुर्गों को फोन करें, उनसे बातें करें, उनके अनुभवों को जानें और बस इतना पूछें "आज आपका दिन कैसा रहा।"

उम्र 76 साल, बोझ 12 लोगों का

पटना के कुर्जी की रहने वाली 76 साल की रामदुलारी देवी उस कर्मठता की जीती-जागती मिसाल हैं जो इंसान को उम्र के हर पड़ाव से आगे ले जाती है। 12 लोगों के परिवार को अकेले संभालना और उनकी हरेक जरूरत को पूरा करना इस उम्र में भी उनकी जिम्मेदारी बनी हुई है। सुबह चार बजे उठना, एक दिन में सात जगहों पर काम करना, चूल्हे के लिए लकड़ियां चुनना और गोबर के उपले बनाना ये उनकी रोज की दिनचर्या है। नौ पोते-पोतियों और बेटे-बहू का खर्च उठाने का पूरा बोझ दुलारी जी के कंधों पर है। कहती हैं कि अपने जीते जी पोतियों की शादी कर देना चाहती हूं। पता नहीं बेटा कर पाएगा या नहीं। इसके लिए हर महीने एक हजार रुपये बैंक में जमा भी करती हैं। घर के खर्च में बेटे का योगदान सिर्फ दो हजार रुपये का होता है। बाकी का सारा खर्च, जिसमें बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, उनके खाने-पहनने के खर्च के साथ-साथ आने-जाने वालों का सेवा-सत्कार भी शामिल होता है। चूंकि दुलारी जी सामाजिक रूप से भी बेहद सक्रिय हैं, तो उनके यहां लोगों का आना-जाना लगा रहता है। तकलीफें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हों न कभी खुद कमजोर होती हैं और न कभी दूसरों को कमजोर होने देती हैं।

गौर कीजिए

शिकागो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक जवानी के बाद सबसे ज्यादा खुश लोग सत्तर-अस्सी साल में होते हैं।

मुंबई का हाल

साठ के बाद : न काम, न पेंशन, न सुरक्षा

पूरी दुनिया में बूढ़ी महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और भारत भी कोई अपवाद नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के कारण जाहिर है कि यहां बुजुर्गों (60+) की संख्या भी अत्यधिक होगी। लोगों की औसत उम्र में बढ़ोतरी होना भी इसका एक कारण है। संयुक्त राष्ट्र का अवलोकन कहता है कि 2050 तक भारत की 21 फीसद जनता 60 साल से अधिक उम्र की होगी। अध्ययनों में यह भी पता चला है कि लगभग सभी देशों में उम्रदराज महिलाओं की संख्या हमउम्र पुरुषों से ज्यादा होती है। बुढ़ापा एक ऐसी प्रक्रिया है जो धारणा से शुरू होकर मृत्यु पर खत्म हो जाती है। यह एक लगातार होने वाले बदलाव की परिणति है जो भारत में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 54 फीसद लोग स्लम में रहते हैं जबकि 25-30 फीसद चॉल में और केवल 10-15 फीसद लोग ही अपार्टमेंटों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक, मुंबई की कुल जनसंख्या 12.48 मिलियन है। इस पत्र के जरिये मुंबई के स्लम इलाकों में रहने वाली बूढ़ी महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है। देश की वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई में करीब 6.5 मिलियन स्लम महिलाएं रहती हैं। अध्ययन के दौरान शहर के 24 वार्डों की 789 महिलाओं का चयन किया गया था जिनमें से 66.3 फीसद महिलाएं 60 से 65 वर्ष के बीच की थीं। इनमें भी ज्यादातर करीब 66.3 फीसद अशिक्षित थीं। अध्ययन में शामिल महिलाओं में से आधी यानी करीब 47.5 फीसद इस उम्र में भी खाना बनाती थीं। हालांकि इसी उम्र के पुरुषों को खाना बनाने के काम से मुक्त रखा जाता है और उन्हें पका-पकाया खाना ही दिया जाता है।

इसके अलावा स्लम में रहने वाली 68 फीसद महिलाओं को घर में शौचालय नसीब नहीं है। शौचालय न होने की वजह से महिलाओं को काफी देर तक अपनी शौच संबंधी जरूरतों को रोक कर रखना पड़ता है और इसकी वजह से उन्हें पेट दर्द और बवासीर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। घर के अंदर कमोड की सुविधा केवल 7.8 फीसद महिलाओं के पास थी जबकि 92.15 फीसद महिलाओं के पास यह सुविधा नहीं थी। इन इलाकों में रहने वाली महिलाओं में 79.3 फीसद बेरोजगार हैं। फुल टाइम प्राइवेट, बिजनेस और प्राइवेट काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 3.7, 3.3 और 2.5 फीसद है। ये आंकड़े बताते हैं कि साठ की उम्र के बाद भी महिलाओं को काम करना पड़ता है। चूंकि ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्र से होती हैं इसलिए उन्हें पेंशन भी नहीं मिल पाता है और कुल मिलाकर केवल 5.7 फीसद महिलाओं को ही पेंशन मिल पाता है। पेंशन न मिलने के कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा असुरक्षित हो जाती हैं। अपना खुद का काम करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 25.3 फीसद है और वे महीने में 500 रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक कमा लेती हैं। महीने में 500 रुपये तक कमाने वाली महिलाओं का आंकड़ा जहां सर्वाधिक 54 फीसद रहा वहीं पांच सौ से लेकर 3000 तक कमा लेने वाली 31.3 फीसद तथा 3001 से लेकर 5000 तक कमाने वालों का आंकड़ा सबसे कम केवल 10.4 फीसद रहा। इन इलाकों में केवल दो फीसद महिलाओं का ही बीमा कराया गया था। हैरत की बात यह है कि स्लम इलाकों में 56.8 फीसद महिलाएं अपने-अपने घरों की स्वामिनी हैं। जिन 789 महिलाओं को सर्वे में शामिल किया गया उनमें से 9.4 फीसद के पास टेलीफोन था जबकि 14.4 फीसद के पास मोबाइल था। करीब 53.1 फीसद महिलाओं के पास रेडियो था जबकि इतनी ही औरतों के पास टीवी भी था। एक अच्छी बात ये पता लगी कि इन इलाकों में बुजुर्ग औरतें योगा या अन्य कोई एक्सरसाइज करती हैं। योगा करने वालों में 30 फीसद और टहलने वालों में 69.9 फीसद महिलाएं शामिल थीं। शायद यही कारण रहा कि करीब 68.9 फीसद औरतों ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं है। 71 फीसद औरतों को पिछले एक साल में अस्पताल नहीं जाना पड़ा था। 90.9 फीसद महिलाएं किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं पा रही थीं। 683 महिलाएं अपनी कमाई, पति के पेंशन, रिश्तेदारों के सहयोग और निजी संस्थाओं की मदद पर चल रही थीं।

डॉ. रोहिणी सुधाकर

(एसोसिएट प्रोफेसर एवं डायरेक्टर (अतिरिक्त प्रभार), डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एंड एडल्ट एजुकेशन एंड एक्सटेंशन वर्क, एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी, मुंबई)

सर्वे के दौरान महिलाओं से जब उनके शौक के बारे में पूछा गया तो 77.4 फीसद ने कहा कि उन्हें टीवी देखना सबसे ज्यादा पसंद है। 34.1 फीसद को अपनी हमउम्र महिलाओं के साथ बातचीत करना पसंद है जबकि 15.9 को गाने सुनना और 0.7 फीसद को पढ़ने का शौक है। ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि वे घर को सजाने में मदद करती हैं। 18.4 फीसद महिलाएं घर में मौजूद बच्चों की देखभाल करती हैं। 43.5 फीसद औरतें रोज पानी लाने का काम करती हैं। करीब 76.4 फीसद उम्रदराज औरतें पान खाने का शौक रखती हैं जबकि 42.7 फीसद गुटखा चबाती है।

गौर कीजिए

इलिनोइस यूनिवर्सिटी के एक शोध में बताया गया है कि बुढ़ापे में दिमाग जवानी की तरह काम करने लगता है।

यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है

अपने बच्चों को हर मुश्किल से निबटने के लिये तैयार रहने की सीख देने वाले बड़े न जाने क्यों खुद यह सीख लेने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में जब बारी उनकी आती है तो उन्हें मिलता है अपमान, दुख और उपेक्षा। देश में करीब 98 फीसद बुजुर्ग घर के अंदर खुद पर होने वाले अत्याचार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। घर के बूढ़े हर जुल्म चुपचाप सहते जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनके बच्चे नाराज होकर उन्हें घर से निकाल न दें। उनके मौन के और भी कई मायने हैं, जरूरत है तो बस उन्हें समझने की।

.....खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले

हरिवंश राय बच्चन

दीपिका झा

घर के बूढ़े अगर मौन हों जाएं तो समझ लेना चाहिए कि मकान की नींव कहीं से दरकने लगी है। उनकी खामोशी उस खाई की ओर इशारा करती है जो आने वाले समय में परिवार के हर सदस्य को एक-दूसरे से बहुत दूर ले जाने वाली है। यदि आने वाली पीढ़ी ने उनके मौन को नहीं समझा तो परिवार नाम की संस्था को विलुप्त होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे।

भारतीय परिवार बदल रहे हैं। अब इनमें झुर्रीदार चेहरों और कांपते हाथों के लिए जगह नहीं रखी जाती क्योंकि वे कमा नहीं सकते। पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई अपने बच्चों के नाम पर कुर्बान कर देने वाले और उन्हें हर मुश्किल से निबटने के लिये तैयार रहने की सीख देने वाले बड़े न जाने क्यों खुद यह सीख लेने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में जब बारी उनकी आती है तो उन्हें मिलता है अपमान, दुख और उपेक्षा। सबसे दुखद ये है कि बुजुर्ग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की शिकायत इसलिये नहीं करते क्योंकि उन्हें घर से निकाले जाने का डर रहता है। उन्हें भय होता है कि यदि वे विरोध करेंगे या शोर मचाएंगे तो उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देंगे और तब उनके सिर के ऊपर न तो छत रहेगी और न ही भूख मिटाने का कोई साधन पास होगा।

हेल्प एज इंडिया की 2011 की रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 98 फीसद बुजुर्ग घर के अंदर खुद पर होने वाले अत्याचार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। यानी हमारे घर के बूढ़े हर जुल्म चुपचाप सहते जाते हैं। 2011 और 2012 दोनों की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश बुजुर्गों पर अत्याचार करने वाले राज्यों में शीर्ष पर रहा। यहां करीब 77.12 फीसद बूढ़े लोग किसी न किसी रूप में प्रताड़ना के शिकार होते हैं। इस रिपोर्ट में पटना सहित बीस शहरों के 5600 बुजुर्गों से बात की गई जिनमें से 51 फीसद महिलाएं थीं। इसमें बताया गया कि 85 फीसद बुजुर्ग अपने मेडिकल खर्च के लिये दूसरों पर निर्भर होते हैं। सर्वे के मुताबिक 60 फीसद बुजुर्ग मौखिक रूप से जबकि 48 फीसद शारीरिक रूप से प्रताड़ना के शिकार होते हैं। 2001 की जनगणना के हिसाब से हमारे देश में बुजुर्गों यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की कुल आबादी 7.7 करोड़ है। इनमें भी महिलाओं की संख्या 3.9 करोड़ जबकि पुरुषों की 3.8 करोड़ है। केरल में जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक बुजुर्ग यानी करीब 8.82 फीसद हैं जबकि हिमाचल प्रदेश में 8.12 फीसद और पंजाब में 7.84 फीसद बुजुर्ग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल आबादी के सबसे कम यानी केवल 3.4 फीसद बुजुर्ग हैं।

गौर कीजिए

मिशिगन यूनिवर्सिटी में हुए शोध के मुताबिक बूढ़े लोग जवानों की तुलना में समझने और समझाने में अधिक तीक्ष्ण होते हैं।

जरा सोचो

बिहार में अलग नहीं है स्थिति

बिहार में भी कमोबेश समान स्थिति है। वैसे तो यहां शहरीकरण और मेट्रो कल्चर की शुरुआत थोड़ी देर से हुई लेकिन बूढ़े लोगों को बोझ मानने वालों की तादाद यहां भी तेजी से बढ़ी है। इस राज्य में समस्या थोड़े दूसरे रूप में है। एक आकलन के मुताबिक राज्य में 77 लाख बुजुर्ग हैं जिनमें से 6 फीसद पूरी तरह लाचार हैं और बिस्तर पर हैं। बिहार में बुजुर्गों के लिये काम कर रहे हेल्प एज इंडिया के राज्य प्रमुख श्री गिरीश चंद्र मिश्रा बताते हैं कि बुजुर्गों के लिये सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा योजनाओं की अत्यंत कमी है और जो हैं भी वे अपना असर छोड़ने में निष्प्रभावी रहे हैं। बिहार में अभी भी केवल एक फीसद बुजुर्ग ही सरकारी पेंशन पा रहे हैं। श्री मिश्रा मानते हैं कि बुढ़ापे में अपमान और प्रताड़ना झेलने के दो मुख्य कारण हैं

- बुढ़ापे के लिये पहले से तैयारी न करना
- जागरूकता का अभाव होना

श्री मिश्रा बताते हैं कि हमारे घरों में रहने वाले बुजुर्गों की बात तो दूर है, नौजवानों को भी बुजुर्गों को प्राप्त कानूनी संरक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि एक सर्वे के मुताबिक बिहार के 77 लाख बुजुर्गों में से 89 फीसद गांवों में रहते हैं इसलिये हेल्प एज ने उनके

बुजुर्गों पर प्रताड़ना के आंकड़े % में

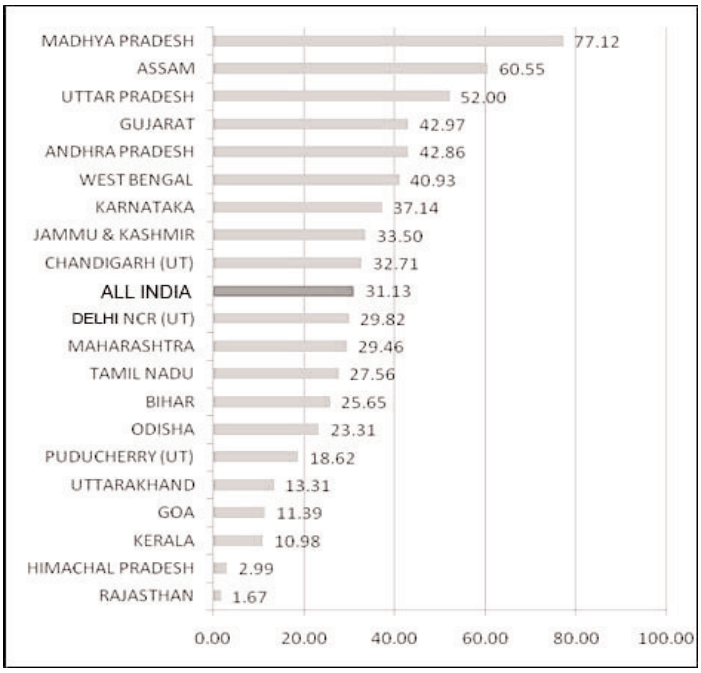

स्रोत : हेल्प एज इंडिया

लिये एक नया मॉडल अपनाया है। इसके तहत संस्था गांवों में रह रहे उन बुजुर्गों को काम के अवसर उपलब्ध करवा रही है जो अभी भी काम कर सकते हैं। संस्था ने इस मॉडल के तहत 70 ग्रामस्तरीय संगठनों का निर्माण किया है जिसके जरिये अब तक 4 हजार बुजुर्ग आर्थिक संसाधनों से जुड़ चुके हैं जबकि 13 हजार बुजुर्ग इसके दायरे में आ चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर धन उपार्जित करने से उनके अंदर नया आत्मविश्वास जागा है। इतना ही नहीं हरेक ग्रामस्तरीय संगठन ने 1-2 ऐसे बुजुर्गों की देखभाल का जिम्मा भी उठाया है जो एकदम लाचार हैं और उनके परिजनों ने उन्हें छोड़ दिया है। श्री मिश्रा कहते हैं कि इस मॉडल के अब तक के नतीजे उत्साहित करने वाले हैं और इसे राज्य सरकार को भी मॉडल के तौर पर अपनाना चाहिये। फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसियेशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष प्रो. बी.एन. सिंह कहते हैं कि जिस तरह महिलाओं और बच्चों के लिये आयोग बना कर उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है उसी तरह बुजुर्गों के लिये भी एक बुजुर्ग आयोग का गठन किया जाना चाहिये ताकि अपने घर वालों की प्रताड़ना के शिकार बनने वाले हर एक बुजुर्ग की सहायता सही समय पर की जा सके। इसके साथ ही एक बुजुर्ग हेल्पलाइन भी बनाया जाना चाहिये जिसके जरिये सीनियर सिटीजन अपनी बात घर की चारदीवारी से बाहर ला सकें। इस तरह बिहार में बुजुर्गों के लिये जिन मूलभूत चीजों की जरूरत है उनमें ये शामिल हो सकते हैं :-

- बुजुर्गों के लिये राज्य और देश के स्तर पर बने आयोग
- बुजुर्ग हेल्पलाइन का गठन कर पहुंचाई जाय सहायता
- थानों तक सीमित न रहकर पंचायतों तक पहुंचे बात
- हेल्प एज इंडिया के मॉडल पर हो काम
- इस समय हेल्प एज इंडिया अपनी एक हेल्पलाइन चला रही है 1800-345-1253. सरकार भी चलाए हेल्पलाइन
- बुजुर्गों के लिये आश्रम बनाने से ज्यादा जरूरी है उनके लिये रोजगार के अवसरों की तलाश करना ताकि बुजुर्गों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिये भी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े
- बुजुर्गों के लिये स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ना चाहिए
- स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर बुजुर्गों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये।

वर्ष 2012 में हेल्प एज द्वारा कराये गये एक सर्वे के दौरान यह बात सामने आई कि केवल पटना में 56 फीसद बूढ़े लोगों को किसी न किसी रूप में प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। जब राजधानी का यह हाल है तो जिलों और गांवों का क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राज्य

गौर कीजिए

65 साल से अधिक उम्र के लोगों को चिंता कम सताती है।

के 77 लाख बुजुर्गों में से 89 फीसद गांवों में रहते हैं जबकि केवल 11 फीसद ही शहरों में रहते हैं। ऐसे में गांवों में हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वहां के बुजुर्गों के पास न तो आर्थिक आजादी है और न ही सामाजिक सुरक्षा। इसके अलावा जो सहायता सरकार द्वारा दी भी जाती है वो इतनी कम होती है कि उससे गुजारा हो पाना संभव नहीं है। श्री मिश्रा बताते हैं कि गांवों में आर्थिक निर्भरता और स्वास्थ्य दो सबसे बड़ी समस्याएं बनकर सामने आई हैं। कम पढ़े-लिखे होने और सरकारी योजनाओं व अन्य दांव-पेंचों की पूरी जानकारी न होने के कारण ग्रामीण बुजुर्गों में लेन-देन की क्षमता नहीं होती जिसका फायदा उनके बच्चे आसानी से उठा लेते हैं।

गांवों में बुजुर्गों की दशा ज्यादा खराब

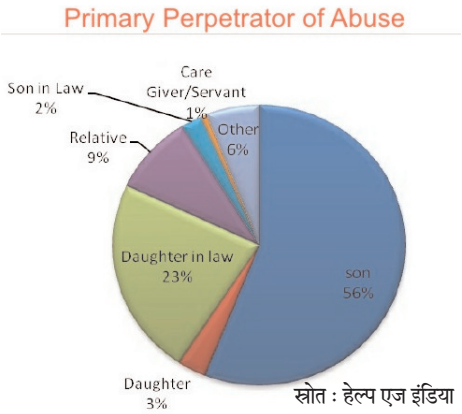

स्रोत : हेल्प एज इंडिया

योजना आयोग द्वारा चार राज्यों (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात) में कराये गये एक अध्ययन में ग्रामीण बुजुर्गों की दशा पर प्रकाश डाला गया है और तदनुसार अनुशंसायें की गई हैं। यद्यपि ये अध्ययन केवल चार राज्यों में ही कराये गये किंतु कमोबेश ऐसी ही स्थिति हर राज्य की है जिसमें बिहार भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गांवों में बुजुर्ग मुख्य रूप से खेती के काम से ही जुड़े होते हैं लेकिन हाल के वर्षों में उनके सामने एक नई जिम्मेदारी आई है और वह है अपने बच्चों के बच्चों की परवरिश करना। दरअसल काम की तलाश में गांवों से शहरों की ओर युवाओं का पलायन बढ़ा है। ऐसे में गांव में रह गये छोटे बच्चों की देखभाल का जिम्मा बूढ़े लोगों पर आ जाता है। योजना आयोग ने पाया कि ज्यादातर बूढ़े लोगों को घर और समाज से अलग कर दिया जाता है। उनके पास न तो आय के साधन होते हैं और न ही उन्हें समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं ही मुहैया कराई जाती है। एक तरह से वे एकाकी जीवन जीने लगते हैं। इस दौरान अपने अधिकारों और बुजुर्गों के लिये बने कानूनों की जानकारी न होने से उन्हें और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। योजना आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि गांवों में आमतौर पर बुजुर्गों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। इसलिये गांवों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ठोस नीति बनाये जाने की जरूरत है।

महिलाओं को नहीं मिलता सम्मान

इसी तरह गांवों में रहने वाली महिलाओं की स्थिति के बारे में भी आयोग ने कई टिप्पणियां की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमूमन महिलाओं का परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। जमीन, रोजगार के अवसरों, आय के साधनों, शिक्षा और सामाजिक जीवन में भी उनकी भागीदारी अत्यंत सीमित हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गांवों में बूढ़े पुरुषों की तुलना में बूढ़ी महिलाओं की समस्या कहीं ज्यादा जटिल है। बुजुर्ग महिलाएं कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझती रहती हैं। ज्यादातर महिलाएं बुढ़ापे में पूजा-पाठ की ओर आवृत्त हो जाती हैं और व्रत उपवास में रहती हैं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरता है। दूसरी ओर मेडिकल सुविधाओं के न मिलने से उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है।

सुझाव

- बूढ़े लोग सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं इसलिये सरकार को चाहिए कि हर नई योजना को शुरू करने के समय से ही उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाय और जागरूकता कार्यक्रम भी साथ में ही चलाया जाय। इसके अलावा कल्याण की राशि सीधे पंचायत तक पहुंचाई जाय ताकि बुजुर्गों को इसका लाभ लेने में ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े।
- आयोग ने पूरी प्रक्रिया में एनजीओ की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना है। उसके मुताबिक, एनजीओ बुजुर्गों की समस्याओं को बाहर लाने और उनमें जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिये सरकार को एनजीओ को वित्तीय सहायता देने में उदारता दिखानी चाहिए और जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने में स्वयं भी उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही रिपोर्ट में उन एनजीओ को ज्यादा तरजीह देने की बात की गई जो गांवों में वृद्धाश्रम खोलने के इच्छुक हों
- यह भी कहा गया कि बुजुर्गों को लेकर बनने वाली नीतियों और योजनाओं की पूरी जानकारी गांव के पंचायत भवन में प्रदर्शित की जानी चाहिए और पंचायत सदस्यों को उसके गुण-दोषों के बारे में पता होना चाहिए ताकि समय पड़ने पर वे बुजुर्गों को सही सलाह दे सकें।
- स्वास्थ्य बुजुर्गों के लिये सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है इसलिये गांवों में इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर बुजुर्गों के लिये अलग काउंटर और बेड रिजर्व होने चाहिए।

गौर कीजिए

साठ साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को अपने काम से कहीं ज्यादा संतुष्टि रहती है।

नाकाफी

बिहार : हालात और कानून

ये है पटना के गुलजारबाग के पास वृद्धाश्रम के लिए आवंटित जमीन का हाल। स्रोत : टेलीग्राफइंडिया.कॉम

पानी में है वृद्धाश्रम के लिए आवंटित जमीन

बिहार सरकार अपने बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति कितनी चिंतित रही है इसका प्रमाण राज्य में वृद्धाश्रमों की संख्या और उनकी दशा से ही मिल जाता है। वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में वृद्धाश्रम बनाने की घोषणा की थी। फरवरी, 2014 में कुछ जगहों पर आश्रम का शिलान्यास भी किया गया लेकिन उद्घाटन का पत्थर लगने और उसमें तत्कालीन मंत्री का नाम देने के अलावे आज तक कोई काम नहीं किया गया। पटना के गुलजारबाग के पास रानीपुर में आश्रम के लिए छोड़ी गई जमीन पर आज गंदगी और जलजमाव का डेरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समाज कल्याण विभाग ने जान-बूझकर ऐसी जमीन का चुनाव किया जहां निर्माण कार्य शुरू ही नहीं कराया जा सकता था। जमीन निचली सतह पर है जिसके कारण बरसात में हर जगह का पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है। हालांकि दवाब बढ़ने के बाद इसी वर्ष फरवरी में काम को थोड़ी गति दी गई और अब जाकर मिट्टी की जांच कराई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्णिया के वृद्धाश्रम में 22 लोग रह रहे हैं जबकि 18 वृद्धों के आवेदन अभी लंबित हैं। दरअसल राज्य में सरकारी वृद्धाश्रमों में वृद्धों को दाखिल करने के नियम इतने जटिल हैं कि एक आवेदन को पास होने में ही कई महीने लग जाते हैं। भागलपुर सरकारी आश्रम में 12 बुजुर्ग हैं जबकि 17 के आवेदन अभी भी सरकारी दांव-पेंच में फंसे हैं। इसी तरह मुजफ्फरपुर के वृद्धाश्रम में 4 बुजुर्ग हैं और गया में 10 बुजुर्ग रह रहे हैं। इन दोनों जगहों पर कोई आवेदन लंबित नहीं है।

क्या कहता है 2012 का बिहार का कानून

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007 में बुजुर्गों के कल्याण और देखरेख के लिए कानून बनाया था जिसके आलोक में बिहार सरकार ने भी 2012 में एक बिहार मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन नियमावली का निर्माण किया। नियमावली में कई दिशा-निर्देश दिये गये हैं, हालांकि यर्थाथ में उनका लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। नियमावली में जो बातें कही गई हैं उनमें से कुछ निम्न हैं :-

- हर सब डिवीजन में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन हो।
- सभी ट्रिब्यूनल मिलकर ऐसे पैनल का निर्माण करें जो मिलकर एक समझौता अधिकारी का चुनाव कर सकें।
- समझौता अधिकारी का चुनाव सीधे सरकार भी कर सकती है।
- आवेदनों का निबटारा निश्चित समय अवधि में हो जाना चाहिए।
- शिकायतों की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं।
- ट्रिब्यूनल आवेदन प्राप्त होने के बाद दूसरे पक्ष को तय तिथि पर हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का अवसर देता है। यदि दूसरा पक्ष नियत तिथि को नहीं पहुंचता है तो ट्रिब्यूनल को अधिकार है कि वह नियमानुसार फैसला सुना दे।
- यदि दूसरा पक्ष हाजिर होता है और दोनों पक्षों में सुलह की परिस्थिति बनती है तो ट्रिब्यूनल समझौता भी करा सकता है और इसके लिय दोनों पक्षों की सहमति से एक समझौता अधिकारी का चुनाव भी किया जा सकता है अथवा ट्रिब्यूनल कानून सम्मत निर्णय ले सकता है।
- बुजुर्गों की देखरेख के लिए बच्चों को अधिकतम दस हजार रुपये मासिक खर्च देने को कहा जा सकता है।
- जिलों में वृद्धों के लिये बनाए गए कानूनों का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं यह देखना जिलाधिकारी का काम है।
- ट्रिब्यूनल का काम सुचारू ढंग से चल रहा है या नहीं, जिले में बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रख जा रहा है या नहीं और नियमावली के निर्देशों का पालन भली-भांति हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित कराना भी जिलाधिकारी के कार्य क्षेत्र में आता है।

गौर कीजिए

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में केवल चौदह फीसद बुजुर्गों को ही मालूम है।

प्रयास

घर नहीं तो घर से कम भी नहीं

शाम के पांच बजते हैं और शांति पाठ शुरू हो जाता है। घर की चारदीवारी के भीतर के अकेलेपन वाली शांति नहीं बल्कि डे केयर सेंटर के अपने बुजुर्ग साथियों के बीच मन की शांति वाला पाठ। चंद्रिका प्रसाद वर्मा, बालेश्वर मिस्त्री, आर.के स्वामी और योगेन्द्र राम की तरह वहां मौजूद हर बुजुर्ग के हाथ जुड़े हैं और होंठ बुदबुदा रहे हैं ''ओम शांति, ओम शांति.....।''

"गुड़ चीनी से ज्यादा मीठा और फायदेमंद होता है लेकिन आज की पीढ़ी गुड़ को पसंद नहीं करती है और चीनी के पीछे भागती है। बूढ़े लोग भी गुड़ की तरह हैं जिन्हें पूछने वाला आज कोई नहीं है।" पटना के आर्यन मिश्र जब ये कह रहे होते हैं तो उनकी बूढ़ी आंखों से बरसों-बरस का अनुभव झांक रहा होता है। पटना में हेल्प एज इंडिया के डे केयर सेंटर में रोजाना शाम को पचास से ज्यादा तजुर्बेदार लोग मिल-जुलकर बांटते हैं अपने-अपने दुख और सुख। योगेन्द्र राम कहते हैं कि आज की पीढ़ी में दान देने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है जिसका नतीजा है कि उनमें प्रेम और दया का भाव भी कम होता जा रहा है।

हेल्प एज इंडिया का यह सेंटर 60+ लोगों के लिए सबसे लुभावना स्थान बना हुआ है। अपने-अपने घरों के एकाकीपन से जब मन भर जाता है तो शहर के हर कोने से कई जोड़े कदम चल पड़ते हैं पाटलीपुत्र के इस सेंटर की ओर। सेंटर के प्रभारी धर्मेन्द्र जी बताते हैं कि इस सेंटर में बुजुर्गों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है। यहां जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

•काउंसिलिंग : धर्मेंद्र बताते हैं कि काउंसिलिंग की जरूरत न केवल बच्चों को है बल्कि बुजुर्गों को भी है। यहां आने वाले ज्यादातर बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद घर में अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और अवसाद से बचने के लिए इस सेंटर में आते हैं। उनकी शिकायत होती है कि बेटे-बहू के पास उनके लिए समय नहीं होता। सेंटर में इन्हें बताया जाता है कि किस तरह अपने नजरिये और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाकर वे अच्छा महसूस कर सकते हैं।

•स्वास्थ्य जांच : सेंटर में महीने के दूसरे सोमवार को सभी बुजुर्गों की पैथोलॉजिकल जांच की जाती है तथा महीने के दूसरे मंगलवार को डॉक्टर आकर उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं।

•मनोरंजन : डे केयर सेंटर में बूढ़े लोगों को किसी न किसी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनका जन्मदिन मनाया जाता है और यदि किसी महीने में एक से अधिक व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो सामूहिक रूप से समारोह को मनाया जाता है। काव्य पाठ और रामचरित

मानस पाठ जैसे आयोजनों के जरिये बुजुर्गों को हमेशा व्यस्त और खुश रखने की कोशिश की जाती है।

•स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम : धर्मेन्द्र के मुताबिक हेल्प एज इंडिया 'सेव' कार्यक्रम के जरिये स्कूली बच्चों को अपने बुजुर्गों का ध्यान रखने और उनका सम्मान करने को प्रेरित करती है।

•अल्जाइमर्स पीड़ितों का ख्याल : हेल्प एज इंडिया अपने डे केयर सेंटर में अल्जाइमर्स के शिकार बूढ़े लोगों की भी सेवा करती है। इनको घर से लाने और वापस छोड़ने का इंतजाम किया जाता है। साथ ही यहां के डॉक्टर घर जाकर भी ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। इनके लिए मनोवैज्ञानिकों और दवाओं की व्यवस्था भी की जाती है।

•फीजियोथेरेपी : सेंटर में बुजुर्गों की फीजियोथेरेपी की व्यवस्था है जो कि बीपीएल वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क है जबकि एपीएल वालों को महज 20 रुपये और घर जाकर थेरेपी करने पर 50 रुपये देने पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

•एडवांटेज कार्ड : बुजुर्गों को एक एडवांटेज कार्ड भी दिया जाता है जिसकी सहायता से वे अपेक्षाकृत कम खर्चे पर अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज करा सकते हैं।

सेंटर से निकलते-निकलते बालेश्वर प्रसाद मिस्त्री खुश रहने के तीन सूत्र बताते हैं - clapping, laughing and walking.

गौर कीजिए

अन्नपूर्णा योजना का लाभ भी केवल चार फीसद बीपीएल परिवारों के लोग उठा पाते हैं।

...तेरे दरबार में भगवन

पटना के रुकनपुरा इलाके में बिहार सरकार की मदद से चलता है वृद्धाश्रम 'सहारा'। स्वयंसेवी संस्था सर्वांगीण विकास समिति इस आश्रम का संचालन करती है। आश्रम में मौजूद बुजुर्गों को देखने के बाद रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाता है। यकीन नहीं होता कि जिन माता-पिता ने इतने अरमानों से अपने बच्चों को पाला था उन्हीं बच्चों ने बड़े होकर उन्हें मरने का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया।

एक कहानी 81 साल के राधामोहन सिंह जी की भी है, दिल दहलाने वाली, बेटों के लिए नफरत पैदा करने वाली। चार-चार बेटों के होने के बाद भी इच्छा मृत्यु की अपील कर चुके हैं। कभी आरा में खूब पहचाने जाते थे आज खुद को भी पहचानना मुश्किल हो गया है। कांपते हाथों से वो कागजात दिखाते हैं जिनमें उन्होंने अपनी देखरेख और खर्च के लिए बेटों और सरकार से आवेदन किया था लेकिन कोई सरकार और कोई कानून उनके काम नहीं आया। पूछते हैं "बेटी, तुमने पंद्रह मिनट में मेरी तकलीफ और जरूरत को जान लिया, अधिकारी आज तक क्यों नहीं जान पाए ?" कैसे बताती उन्हें कि कोई जानना ही न चाहे तो उसे कैसे समझाया जाय। राधामोहन जी ने अपनी संपत्ति को चारों बेटों में बांट दिया था और खुद सबसे छोटे बेटे के साथ रह रहे थे लेकिन उसने भी उन्हें अपमानित कर घर से बाहर निकाल दिया। पिछले चार महीनों से आश्रम में हैं। आश्रम के अपने साथी वृद्ध लोकमान्य तिलक की ढोल पर सुनाते हैं "तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आया हूं...।"

मुजफ्फरपुर के 67 वर्षीय ओंकार नाथ वर्मा एक महीने से आश्रम में हैं, जल्दी ही पत्नी भी यहीं आने वाली हैं। जवानी में बड़े काम किये लेकिन जब बूढ़े हुए तो खुद को बेकार पाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा दुख यही है कि सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को बूढ़ा मान लिया जाता है और उनके लिए रोजगार के सारे दरवाजे बंद कर दिये जाते हैं। श्री वर्मा मानते हैं कि वृद्धाश्रमों की भूमिका आश्रय और पुनर्वास में तो है ही लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि वृद्धों को काम के मौके भी दिये जाएं। इससे न केवल उनकी आमदनी के उपाय बढ़ेंगे बल्कि उनका आत्म सम्मान भी मना रहेगा। श्री वर्मा की आंखें यह कहते हुए भर आती हैं कि हम समाज का वो हिस्सा बन चुके हैं जिन्हें किसी को जरूरत नहीं है, हमें यहां मौत का इंतजार करने को छोड़ दिया गया है।

96 साल की बृजकिशोरी देवी को पूरा भरोसा है कि उनका बेटा उन्हें फिर से वापस लेकर जाएगा। कभी आलीशान मकान में रहने वाली बृजकिशोरी की दुनिया आज वृद्धाश्रम की एक छोटी चौकी तक सिमट कर रह गई है। कानों में सोने के बुंदे हैं और गले में चेन भी लेकिन नहीं है तो सोने से भी प्यारा वह बेटा जिसके लिए बृजकिशोरी ने न जाने कितने हीरे-मोतियों को दांव पर लगा दिया होगा। इस हाल में भी उनके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि दिल में है घर लौटने की उम्मीद। बच्ची की तरह कहती हैं "हमारा एक और नाम लिख लेना -पुतुल-प्यार से हमको लोग इसी नाम से पुकारते हैं।"

गौर कीजिए

90 फीसद बूढ़े लोगों को लंबी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए इलाज की जरूरत है।

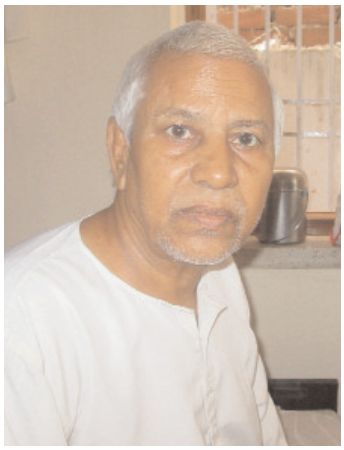

69 साल के झूलन साव आश्रम में एक साल से हैं। मूल रूप से मसौढ़ी के रहने वाले साव ने मानो अपनी हालत से समझौता कर लिया है। दुख जाहिर नहीं होने देते और शरीर को योग की प्रयोगशाला बना लिया है। बाबा रामदेव के भक्त हैं और सामाजिक असंतुलन के लिए शिक्षा प्रणाली को दोषी ठहराते हैं।

पटना के मीठापुर के चार वार्डों के काउंसलर रहे। समाज सेवा का जुनून रगों में आज भी दौड़ता है। 90 फीसद दृष्टि खत्म हो चुकी है फिर भी ढोलक को छूते ही अंगुलियां मचलने लगती हैं। एक दौर था जब लोकमान्य तिलक जी कैमरे को क्लिक करते ही समय को अपनी तस्वीरों में कैद कर लेते थे मगर आज वो खुद आश्रम की दीवारों में कैद होकर रह गए हैं। कहते हैं कि काउंसलर था तो कभी घर में नहीं बैठा, हर समय अपने वार्ड के लोगों की सेवा में लगा रहता था। नाले की सफाई हो या सड़क की मरम्मत, हर काम में खुद हाथ लगा देता था। घर वालों को मेरा समाज सेवा में लगे रहना अच्छा नहीं लगता था, सो बहुत पहले ही घर छोड़ दिया था। किसी ने बुलाया भी नहीं। कभी अपने लिए कुछ बचा कर न रखने की आदत का नतीजा था कि जब उम्र ढली तो खुद को कहीं का नहीं पाया। न रहने को घर था न जीने भर के लिए कोई गुजारा। सरकार के पास गुहार लगाई तो इस वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया गया। अब आश्रम के साथी और एक ढोल, इन्हीं के सहारे दिन गुजर जाता है। मुझे भी एक गीत सुनाया "ऐ मालिक तेरे बंदे हम....।"

सरकारी सहायता पर्याप्त नहीं

सर्वांगीण विकास समिति के कर्ता-धर्ता अंजेश कुमार दिल्ली के एक अस्पताल में अपने भाई का इलाज करा रहे थे। जिस बेड पर उनके भाई थे उसके पास वाली बेड पर ही एक बुजुर्ग व्यक्ति का भी इलाज चल रहा था। एक दुर्घटना में वे जख्मी हो गए थे और उनके पास अपना कोई नहीं था। अंजेश जी ने अपने भाई के साथ-साथ उन बुजुर्ग का भी पूरा ख्याल रखा और अस्पताल से घर लौटते तक उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उस दिन से अंजेश जी ने अपने जीवन के लिए एक नया लक्ष्य चुन लिया था और वह था बूढ़े लोगों की सेवा करने का। और इस तरह नींव पड़ी रुकनपुरा के वृद्धाश्रम की जिसे बाद में बिहार सरकार ने अपने 'सहारा' प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया। हालांकि अंजेश कुमार वर्तमान में मिल रही सरकारी सहायता को पर्याप्त नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार के नियम अजीब हैं जिसके मुताबिक केवल सरकार द्वारा स्वीकृत बुजुर्गों को ही वृद्धाश्रम में रखा जा सकता है। मुश्किल है कि सरकार की अनुशंसा प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है और अंततः इसका खामियाजा बुजुर्ग को ही भुगतना पड़ता है। इसके अलावे पुलिस थानों को भी बुजुर्गों के संरक्षण से जुड़े कानूनों का ज्ञान नहीं है। ऐसे में यदि कोई वृद्ध लाचार अवस्था में मिलता है तो उनके पुनर्वास में थानों की कोई मदद नहीं मिल पाती है। यही वजह है कि अंजेश जी ने बुजुर्गों की बिना शर्त सेवा करने के लिए बिहार के शेखपुरा में एक विशाल वृद्धाश्रम का निर्माण कराया है और वहां भी जल्द ही सेवा शुरू कर दी जाएगी।

बेटे को देखने को तरसीं आंखें

विजया देवी अपनी उम्र के 75 साल पूरे कर चुकी हैं। आंखों से कम दिखता है तो अब कानों ने भी धोखा देना शुरू कर दिया है। पिछले आठ सालों से एक ही इच्छा है कि बस एक बार बेटे को देख लूं फिर प्राण निकल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गंगापुर गांव की विजया देवी को ईश्वर ने सब कुछ दिया था -पति, बेटा, घर-सब कुछ। लेकिन पति की मौत क्या हुई दुनिया ही बदल गई। बेटे को पिता की जगह पर नौकरी मिल गई तो उसने बूढ़ी मां को घर से बेघर कर दिया। पिछले आठ साल से पटना में एक रिश्तेदार के यहां रह रही हैं लेकिन बेटे-बहू ने न कभी फोन किया न कभी मिलने आए।

गौर कीजिए

दवाओं और अस्पताल का खर्च बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा बड़े खर्च के रूप में सामने आता है।

नानी-दादी

क्या होगा इन 60 मिलियन तजुर्बों का!

बूढ़ी औरतों को घर के कोने तक सिमटा देने वाली पीढ़ी असल में पूरी तरह दोषी भी नहीं है, क्योंकि दोष तो उन पीछे छूट चुकीं पीढ़ियों का है जिन्होंने औरतों को घर में दूसरे दर्जे का सदस्य बना दिया। न शिक्षा दी, न अधिकार और न ही अपने बारे में सोचने के अवसर दिये। नतीजा, जब जीवन की शाम ढलने लगी तो चारों ओर मिला अंधेरा ही अंधेरा।

भारत करीब 60 मिलियन बूढ़ी महिलाओं का घर है। अगर सकारात्मक तरीके से देखा जाय तो कह सकते हैं कि भारत 60 मिलियन तजुर्बों का घर है लेकिन असलियत यह है कि ये तजुर्बे अब घरों में कैद हैं। इनकी न आवाज सुनाई देती है न कदमों की आहट। बरसों तक अपने वजूद से घर का कोना-कोना रोशन करने वालियां आज खुद अपने ही घर में अपना वजूद तलाश रही हैं। ये हाल है हमारी आज की पीढ़ी में बूढ़ी होने वाली महिलाओं का। बूढ़ी औरतों को घर के कोने तक सिमटा देने वाली पीढ़ी असल में पूरी तरह दोषी भी नहीं है, क्योंकि असल में दोष उन पीछे छूट चुकीं पीढ़ियों का है जिन्होंने औरतों को घर में दूसरे दर्जे का सदस्य बना दिया। न शिक्षा दी, न अधिकार और न ही अपने बारे में सोचने के अवसर दिये। नतीजा, जब जीवन की शाम ढलने लगी तो चारों ओर मिला अंधेरा ही अंधेरा।

एजवेल फाउंडेशन ने भारतीय घरों में हाशिये पर धकेल दी गई बूढ़ी महिलाओं की स्थिति पर एक पड़ताल की और पाया कि अकेलापन ऐसी महिलाओं के लिये सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आई है। 25 राज्यों के 200 जिलों की करीब दस हजार बूढ़ी महिलाओं के मन को खंगालने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा गया कि जो महिलाएं अपने बेटे-बेटियों और पोते-पोतियों के साथ रहती हैं वे भी भावनात्मक रूप से अकेलापन झेल रही हैं। इस रिपोर्ट में शहर की बूढ़ी महिलाओं की तुलना में गांव की महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर बताई गई क्योंकि गांवों में अभी भी कुछ हद तक संयुक्त परिवार प्रचलन में हैं और वहां महिलाओं को अपना समूह मिल जाता है जहां वे दिन गुजार लेती हैं। मगर शहरों में महिलाओं के सामने कोई विकल्प नहीं होता है। जैसा कि पाया गया है कि हमारे देश में महिलाओं की औसत उम्र में वृद्धि हुई तो ऐसे में पति की रिटायरमेंट के बाद उनके सामने वित्तीय समस्या भी लंबे समय तक बनी रहती है। शहरों में संपत्ति विवाद का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी हैं। विशेषकर बूढ़ी और विधवा महिलाएं संपत्ति विवाद की आसान शिकार होती हैं। यहां तक कि सामाजिक बाध्यताओं और संकोच के कारण वे अपनी ही संपत्ति का इस्तेमाल अपने

गौर कीजिए

47 फीसद बुजुर्ग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का सहारा लेते हैं।

हित में नहीं कर पाती हैं। ज्यादातर बूढ़ी महिलाओं को अपनी बहुओं, दामाद और पोते-पोतियों के कारण अपमान और यातना झेलनी पड़ती है। परिवार में किसी भी मुद्दे पर न तो उनकी राय ली जाती है और न ही फैसला लेने से पहले बुजुर्गों पर होने वाले असर का ध्यान रखा जाता है। बहुओं, बच्चों और पति से मिलने वाली उपेक्षा और अत्यधिक व्रत उपवास करने के कारण बूढ़ी महिलाएं गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करती हैं। युवावस्था से ही सीमित दायरे में रहने के कारण महिलाएं अंत तक अपनी समस्याओं को सबके सामने नहीं रख पाती हैं जिसका खामियाजा उन्हें बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है।

यूएनएफपीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा होने वाली है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में बूढ़े लोगों की संख्या 100 मिलियन को पार कर चुकी है। हालांकि जहां औसत लिंगानुपात में महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं (एक हजार पुरुषों पर 940 महिलाएं) वहीं 60 साल से अधिक उम्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है (एक हजार पुरुषों पर 1022 महिलाएं)। अध्ययनों से ये भी पता चला कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे-वैसे महिलाओं की संख्या भी अधिक होती जा रही है। 65, 70, 75 और 80 साल की महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरुष क्रमशः 1310, 1590, 1758 और 1980 है। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक देश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 18.4 मिलियन ज्यादा हो जाएगी और तब भारत में भी चीन की तरह एक अलग प्रकार की स्त्रीवादिता का उदय हो सकता है जो बूढ़ी महिलाओं के एक विशाल समूह को इंगित करेगा।

बुजुर्ग महिलाओं के अधिकारों का हनन

•कुपोषण : महिलाएं चाहे गांव की हों या शहर की, उनके भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती ही है। घर के सभी सदस्यों को खिला लेने के बाद खुद खाना खाने की प्रवृत्ति के कारण भारतीय महिलाएं गंभीर कुपोषण की शिकार होती हैं। बुढ़ापे में भी उनके भोजन को लेकर ज्यादातर लापरवाही बरती जाती है।

•साफ पानी : अक्सर बूढ़ी महिलाओं को साफ पानी नहीं मिल पाता है जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है।

•आश्रय : गरीब और अकेली महिलाएं ज्यादातर आश्रय विहीन होती हैं।

•शौचालय : शौचालय का न होना बुजुर्ग महिलाओं के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है।

•अशिक्षा : हमारे देश में अभी भी महिलाओं को शिक्षा पाने का समान अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्हें अपने लिए बनाये गये कानूनों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं होती है।

•समानता का अधिकार : बचपन से लड़कियों को लड़कों से दोयम दर्जा दिया गया है जो बुढ़ापे तक बरकरार रहता है।

•वित्तीय अधिकार : बूढ़ी महिलाओं और विशेषकर विधवाओं को पैसों के लिए अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ पैसों के लिये उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ती है।

डायन के नाम पर अत्याचार

ये बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में महिलाओं को अभी भी डायन के नाम पर मारा जा रहा है। देश के पिछड़े और आदिवासी बहुल इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में बूढ़ी महिलाओं को डायन करार देकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इन हत्याओं के पीछे ज्यादातर संपत्ति विवाद होते हैं और अकेली विधवा महिलाएं इसकी शिकार बनती हैं। डायन बताकर किसी विधवा को गांव और समुदाय से बाहर कर उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना बेहद आसान है।

झारखंड में वर्ष 2001 से 2008 के बीच 452 महिलाओं को डायन के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें से कई महिलाएं 60 साल या उससे भी अधिक उम्र की थीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और केरल जैसे राज्यों में आज भी डासन और चुड़ैल बताकर या तो महिलाओं की हत्या कर दी जाती है या उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसके पीछे संपत्ति सबसे बड़ी वजह होती है जबकि पारिवारिक विवाद या आपसी कलह भी कारण बनते हैं। कॉरनेल यूनीवर्सिटी की रेबेका वर्नेन के मुताबिक भारत में पिछले 15 सालों में 2500 महिलाओं की हत्या डायन के नाम पर कर दी गई है। सबसे दुखद यह है कि मारे जाने वालों में ज्यादातर बूढ़ी औरतें होती हैं जो अकेली या विधवा होती हैं। जुलाई, 2012 में झारखंड में एक बुजुर्ग दंपति को डायन बताकर पेशाब पीने के लिए विवश किया गया। एक ही महीने के बाद एक अन्य बुजुर्ग व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया। इसी तरह साल 2013 में मेघालय के एक गांव में जब चार लड़कियां एक साथ बीमार पड़ीं तो लोगों ने इसके पीछे जादू-टोना को कारण मानकर गांव के ही एक बूढ़े व्यक्ति पर आरोप लगाया और उसे मानव मल पीने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए गांववालों ने कहा कि ऐसा करने के बाद लड़कियों की हालत में सुधार हो गया।

वृंदावन : मोक्ष के नाम पर मौत

यूं तो वृंदावन प्रेम की नगरी है, राधा और कृष्ण का प्रेम हर पल यहां सांसें लेता है लेकिन इस नगरी का एक काला पक्ष भी है जो बेहद तकलीफदेह है। वृंदावन को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है। हर साल पूरे देश से सैकड़ों विधवाएं यहां पहुंच जाती हैं या पहुंचा दी जाती हैं। मोक्ष मांगने आई बूढ़ी विधवाओं को भीख मांग कर गुजारा करना पड़ता है। करीब 40 हजार विधवाएं, जिनमें से ज्यादातर बूढ़ी हैं, वृंदावन में किसी तरह गुजर-बसर कर रही हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बूढ़ी विधवाएं यहां अपना जन्म सुधारने आती हैं लेकिन असल में तो वे अपनी बची-खुची जिंदगी शांति और सम्मान के साथ जीने की आस में वृंदावन पहुंच जाती हैं। इनमें भी ज्यादातर को उनके परिवार वाले यहां छोड़ जाते हैं क्योंकि अब वे उनके किसी काम की नहीं रह जाती हैं।

बीबीसी की एक रिपोर्ट में वृंदावन की बूढ़ी विधवाओं की कहानी बयां की गई है। पश्चिम बंगाल से आई दो महिलाओं के बारे में बीबीसी ने बताया है कि इनमें से एक सैफ अली दास (60) खुद ही वृंदावन चली आई तो वहीं सोनदी (80) को उनके परिवार ने

बंद करो अमानवीय कृत्य : सुप्रीम कोर्ट

3 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मसले पर देश का ध्यान आकृष्ट कराया जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गये। कोर्ट ने वृंदावन में रह रही विधवाओं की मौत के बाद उनके शवों को टुकड़ों में काटकर उन्हें प्लास्टिक बैग में भरकर फेंके जाने को अमानवीय और चौंकाने वाला कृत्य करार दिया। उच्चतम अदालत ने मथुरा के चीफ मेडिकल ऑफिसर को आदेश दिया कि आश्रमों में रहने वाली विधवाओं को न केवल पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया जाय बल्कि मरने के बाद उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार भी किया जाय। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी विधवाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया। जब अदालत की फटकार पड़ी तो राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग की नजर भी उस ओर गई और उन्होंने भी वृंदावन की बूढ़ी और विधवा महिलाओं की बुरी स्थिति को लेकर जांच-पड़ताल शुरू की। जस्टिस डी.के. जैन और मदन बी. लोकुर की पीठ ने राज्य सरकार के दो अधिकारियों की एक टीम गठित की जिनका काम आश्रमों में साफ पानी और भोजन की व्यवस्था करना था। कोर्ट ने लगे हाथों केन्द्र सरकार को भी कई दिशा-निर्देश जारी किये और वृंदावन की विधवाओं की दशा सुधारने का निर्देश दिया। इस याचिका को दायर करने वाली संस्था ने कहा था कि अपने गुजारे के लिये लगातार सात-आठ घंटे तक भजन गाकर भीख मांगने वाली महिलाओं को एक दिन में बमुश्किल 18 रुपये मिल पाते हैं।

गौर कीजिए

सर्वाधिक उम्रदराज लोगों में से 57 फीसद लोग विधवा अथवा विधुर हैं।

विधवाओं की नगरी

यहां लाकर छोड़ दिया। सैफ अली दास के पति की मौत करीब बारह साल पहले अत्यधिक शराब पीने से हो गई थी। कुछ समय के बाद ही उसकी बेटी की भी बीमारी से मौत हो गई जबकि बेटे की हत्या कर दी गई। ऐसे में जब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा तो वह खुद ही करीब एक हजार किलोमीटर का रास्ता तय करके वृंदावन आ गई क्योंकि उसने यहां के बारे में सुन रखा था। दूसरी ओर, सोनदी के पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी जब उसके चारों बच्चे छोटे-छोटे थे। सोनदी ने बड़े संघर्ष से सभी बच्चों की परवरिश की लेकिन जब बेटे की शादी कर दी तो बहू ने आते के साथ ही उसे घर से निकल जाने का फरमान सुना दिया क्योंकि उसका कहना था कि आज जो कुछ भी उस घर में था सब उसके पति के कारण था और उसमें सोनदी का कोई योगदान नहीं रहा इसलिये उसे घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है।

वृंदावन में मुख्य मंदिर द्वारा संचालित चार आश्रमों में कई बूढ़ी विधवाओं को शरण मिली हुई है लेकिन यहां रहने वाली महिलाओं की संख्या उन महिलाओं से कहीं कम है जिन्हें गलियों में भीख मांगकर अपने लिये किराये की खोली का इंतजाम करना पड़ता है। तिस पर भी न किसी नेता और न ही किसी राजनीतिक दल का ध्यान उनकी ओर जाता है। मथुरा से सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी का पिछले वर्ष वृंदावन की विधवाओं को लेकर दिया गया बयान जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता को उजागर करता है। सांसद से जब धार्मिक नगरी में विधवाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि दूसरे राज्यों से आने वाली महिलाओं को वृंदावन में भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए, आखिर बिहार और बंगाल में भी तो कई धार्मिक स्थल हैं, इन्हें वहीं शरण लेनी चाहिए। हेमा मालिनी के इस बयान पर जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई देकर माफी मांग ली लेकिन अनजाने में भी जो सच उनके मुंह से सामने आ गया वो यही था कि उन्हें और उनके जैसे तमाम जनप्रतिनिधियों को वृंदावन की गलियो में भीख मांगती बूढ़ी विधवाओं के लिये कोई फिक्र नहीं है। शायद इसलिये कि देश के अलग-अलग इलाकों से आई ये विधवाएं उनके लिये वोट बैंक नहीं हैं। हेमा मालिनी को अकेली, लाचार और अभावग्रस्त विधवाओं से ज्यादा चिंता वृंदावन की थी।

कृष्ण वधू कहलाएंगी विधवाएं

वृंदावन की विधवाओं के लिए यूं तो कोई भी दिन अच्छी खबर लेकर नहीं आता लेकिन फिर भी इस खबर को उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। कृष्ण की नगरी में दर-दर की ठोकरें खाने वाली इन विधवाओं को अब एक नया नाम दिया गया है कृष्ण वधू। चैतन्य महाप्रभु की 500वीं जयंती के मौके पर 18 नवम्बर, 2015 को प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें इस नए नाम से नवाजेंगे। चैतन्य महाप्रभु की जयंती के मौके पर न केवल 28 राज्यों में कार्यक्रम किए जाएंगे बल्कि विधवाओं को अपमान और अकेले जीवन से मुक्ति का आह्वान भी किया जाएगा। वृंदावन के श्रीराम मंदिर के वैश्नवाचार्य श्री अभिषेक गोस्वामी के मुताबिक विधवाओं ने अपने पतियों को खोया है लेकिन हिन्दू धर्म के मतानुसार उनकी आत्माओं से वे अभी भी जुड़ी हैं क्योंकि आत्माएं नहीं मरती हैं। इसी को आधार मानते हुए हम विधवाओं को भगवान कृष्ण से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी के मुताबिक न केवल विधवाओं के नाम बदले जा रहे हैं बल्कि यूपी सरकार के साथ मिलकर दो संस्थाएं उनके लिए एक कोष का भी गठन कर रही हैं जिसका इस्तेमाल विधवाओं की आजीविका और सम्मानजनक जीवन के लिए किया सकेगा ताकि उनका जीवन केवल मौत का इंतजार करते न बीत जाय। सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्था भी पहले से ही इन विधवाओं के कल्याण के काम में जुटी है और उन्हें होली और दीवाली जैसे त्योहारों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। विधवाओं को समाज से जोड़कर और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाकर ही उनकी निराशा और तनावग्रस्त जीवन को आसान बनाया जा सकता है।

हिन्दू धर्म के अनुसार अपने पतियों की आत्माओं से विधवाएं अभी भी जुड़ी हुई हैं।

जिंदगी की शाम या नया विहान !

वो आज भी हैं पीरो के गांधी

राम मनोहर लोहिया ने उन्हें कहा था 'पीरो का गांधी'। क्या सही पहचाना था लोहिया ने उस शख्स को। जिसके नाम में राम भी हो और इकबाल भी उसकी देशभक्ति पर भला किसे संदेह हो सकता है। आरा के हर गली-कूचे में जिनके नाम का डंका बजता था उन राम इकबाल बरसी ने खुद को हमेशा जमीन से जुड़ा पाया। जो किया देश के लिए किया, जो दिया देश को दिया। बरसी साहब आज करीब 96 वर्ष के हो चुके हैं मगर देशप्रेम की भावना अब भी उतनी ही गहरी है। उनके सुपुत्र श्री शिवजी बाबू बताते हैं कि बरसी जी पढ़ाई में तेज थे लेकिन उनके पिताजी के पास फीस के दो रुपये नहीं थे जिसके कारण तीसरी कक्षा के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। बाद

राम इकबाल बरसी

में डालमियानगर फैक्ट्री में हेल्पर के तौर पर भी काम किया। इसी समय बसावन बाबू के साथ आजादी की जंग में शरीक हो गए। डॉ. लोहिया के साथ सोशलिस्ट पार्टी के लिए काम किया। 1969 में पीरो से विधायक चुने गए। सन् '75 में जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो जेपी आंदोलन से जुड़े और कई अन्य नेताओं के साथ जेल गए। उस समय बरसी जी आरा में कितने लोकप्रिय थे इसका जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस में 3 जुलाई, 2015 को लिखे अपने एक लेख में किया है। उन्होंने लिखा है कि 1976 की गर्मियों में मैं और कुछ अन्य आंदोलनकारी भोजपुर के दुबौली गांव में राम इकबाल बरसी जी से मिलने गए थे जो उस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नेता थे। बरसी जी छिपकर नहीं बल्कि खुला आंदोलन चाहते थे। महेन्द्र दुबे के घर हम बैठक कर रहे थे कि तभी पुलिस ने हमें घेर लिया। हम सब गिरफ्तार कर लिए गए और आरा जेल भेज दिए गए। एक रात को तत्कालीन जिलाधिकारी से मेरी झड़प हो गई और उसने मुझे रिमांड पर लेने की कोशिश की मगर राम इकबाल जी मेरे साथ थे और उनकी लोकप्रियता के कारण वहां बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और मैं बच गया। बरसी साहब 57 साल तक राजनीति में रहे लेकिन अपने लिए कभी एक पैसा भी नहीं बनाया। देश के लिए 14 साल उन्होंने जेल की सजा काटी मगर न तो स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन ली और न ही विधायक पेंशन की परवाह की।

जिनके आगे हार गया बुढ़ापा

2 फरवरी, 1936 को बिहार के मधेपुर में जन्मे श्री दिनेश नन्दन सहाय को राज्य का गौरव कहा जा सकता है। वे छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल रहे और त्रिपुरा के राज्यपाल भी बनाये गये। अब 79 साल के हो चुके हैं लेकिन उम्र उन पर हावी नहीं हो पाई है। न केवल उनकी सामाजिक सक्रियता बनी हुई है बल्कि वैचारिक रूप से भी वे सजग और मुखर हैं।

वर्तमान में श्री सहाय प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक शोध संस्थान के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। इसके अलावे कई सामाजिक सरोकारों से भी वे जुड़े हैं। विभिन्न मुद्दों पर उनके आलेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। स्वर्गीय देवनंदन

दिनेश नंदन सहाय

सहाय और माता किशोरी देवी के पुत्र दिनेश नंदन मध्यवर्गीय परिवार से आते थे। तिस पर ग्रामीण परिवेश उनकी शिक्षा के लिये बाधक बन सकता था, लेकिन श्री सहाय ने अपनी प्रतिभा के बल पर न केवल अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. तक की पढ़ाई पूरी की बल्कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए भी चुने गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए आरा के एच.डी. जैन कॉलेज में अध्यापन भी किया। इसके बाद उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती के दौरान श्री सहाय ने अपनी कर्मठता और विवेकशीलता के कई उदाहरण पेश किये। वर्ष 1994 में डीजीपी के पद से रिटायर होने के बाद वे समता पार्टी में शामिल हो गये और यहां भी अपनी विचारशीलता का लोहा मनवाया। पार्टी के भीतर उनका कद बढ़ता गया और यही कारण रहा कि वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो उन्हें वहां का पहला राज्यपाल बनाया गया। वर्ष 2003 में वे त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किये गये। इसके अलावा उन्हें संयुक्त राष्ट्र के छात्र एसोसिएशन के बिहार शाखा का चेयरमैन भी चुना गया था। राजनीति के अलावा श्री सहाय सामाजिक रूप से भी अत्यधिक सक्रिय रहे। कई सामाजिक संगठनों को वे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग करते रहते हैं। किताबें उनकी मित्र बनी हुई हैं और लिखने का शौक जारी है। कह सकते हैं कि उनके आगे बुढ़ापे ने भी हार मान ली है।

गौर कीजिए

71 फीसद बूढ़े लोग अपने बेटों के साथ रहते हैं जबकि दस फीसद लोग अकेले रहते हैं।

समय-शिला पर छोड़ी छाप

मिट्टी से ही निकले सब थे, जा मिट्टी में ही समा गये,
जो कुछ पाया-खोया जग में, सब समय-शिला को थमा गये।

ये पंक्तियां हैं समय की शिला पर अपना नाम सुअक्षरों में अंकित करा चुके श्री राम उपदेश सिंह 'विदेह' की। उनके विषय में जो कुछ कहा जाय वो कम ही लगता है। गणित और विज्ञान के होनहार छात्र, पेशे से प्रशासनिक अधिकारी और प्रवृत्ति से इंजीनियर श्री सिंह आज एक ख्यात कवि हैं। उम्र 77 वर्ष है लेकिन उसकी छाप कहीं नजर नहीं आती। मन, कर्म और वचन से अभी भी उतने ही युवा, उतने ही सक्रिय हैं। श्री सिंह वर्ष 1961 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और कई महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। इस दौरान बिहार के तीन मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव भी रहे। श्री सिंह कहते हैं कि मेरे भीतर एक कवि भी है इसका आभास मुझे वर्ष 1991 में

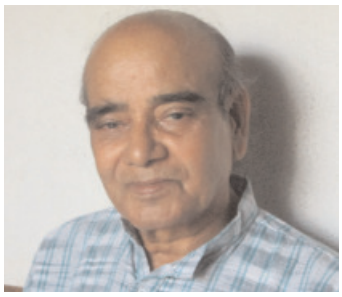

राम उपदेश सिंह 'विदेह'

हुआ जब मैंने देशप्रेम की कविताएं लिखनी शुरू की। तब से लेकर अब तक 16 हिन्दी काव्य-संग्रहों की रचना कर चुका हूं। हालांकि जब वे अपने अतीत में लौटते हैं तो बताते हैं कि आईएससी का छात्र था तब हिन्दी के शिक्षक नवल किशोर राम जी की शैली से प्रभावित रहता था। इसी तरह एक स्कूल में अध्यापन के दौरान श्री सच्चिदानंद पांडे, जो उसी स्कूल में शिक्षक थे, दिनकर और बच्चन जी की कविताएं खूब सुनाया करते थे। उन्हीं दिनों से मेरे मन में कविता लिखने का बीज पड़ा। हालांकि यह मौका बहुत समय बाद मिला और अब तो यह मेरी नई पहचान बन चुकी है। श्री सिंह की 'गीतायन' गीता के 700 श्लोकों का समश्लोकी हिंदी पद्यान्तरण है तो 'चण्डिकायन' दुर्गा शप्तसती के 700 श्लोक-मंत्रों का हिंदी पद्यान्तरण। ऐसे ही बहुमूल्य ग्रंथों और संकलनों से परिपूर्ण है उनका रचना संसार। कविता लिखने के साथ-साथ कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं श्री सिंह और मानते हैं कि हर व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद भी खुद को किसी न किसी उद्देश्य से जोड़े रखना चाहिए। वे गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ के मंत्री रह चुके हैं तो जेआरडी टाटा द्वारा स्थापित पीएफआई के मानद परामर्शी भी। वर्तमान में वे सेवा भारत के मानद परामर्शी हैं। कह सकते हैं कि व्यक्ति एक पर रूप अनेक हैं। कविता लेखन, साहित्य सृजन, चित्रकारी, संगीत, गणित, अभियंत्रण और अभिनव प्रयोग, सबका सम्मिलित रूप हैं 'विदेह'।

उम्र न रोक पाई लेखनी की धार

24 अक्टूबर, 1945 को दरभंगा के लहेरियासराय में जन्मीं डा. उषाकिरण खान आज पूरे बिहार की पहचान हैं। पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों के अलावा अनेकानेक पुरस्कारों से उन्होंने बिहार का मान बढ़ाया है। इतना ही नहीं उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी लेखन यात्रा जारी है।

शकुंतला और जगदीश चौधरी के घर जन्मीं डा. उषाकिरण खान को बचपन से ही गांधीवादी माहौल मिला। गांधी जी की विचारधारा के साथ-साथ उषाकिरण को पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, शीलभद्र याजी, रामवृक्ष बेनीपुरी, नागार्जुन, रामधारी सिंह 'दिनकर' और जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज साहित्यकारों और चिंतकों का साथ और आशीर्वाद भी मिला। पटना विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व शास्त्र में पीजी की डिग्री पाने के बाद मिथिला की संस्कृति पर केंद्रीत एशियन स्टडीज में

डा. उषाकिरण खान

पीएचडी करते-करते तक वे एक विदुषी के तौर पर प्रसिद्ध हो चुकी थीं। बिहार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल को उनकी किताब 'संस्कृति का कल्पतरू' में बहुत अच्छे तरीके से संग्रहित किया गया है। मगध विश्वविद्यालय के बी.डी. कॉलेज में उन्होंने लंबे अरसे तक प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्वशास्त्र का अध्यापन भी किया और वर्ष 2005 में विभाग प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुईं। डा. खान के सांस्कृतिक दायित्वों का दायरा बहुआयामी गतिविधियों तक फैला है। वे स्लम क्षेत्रों के बच्चों के थियेटर ग्रुप 'सफर मिनाह' की अध्यक्ष हैं तो 'निर्मल कला मंच' की चेयरपर्सन भी। इसके अलावा केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आने वाले मध्य-पूर्व जोनल कल्चरल कमेटी की सदस्य भी वे हैं। इतना ही नहीं न्यूयार्क और सूरीनाम में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया है तो वहीं मॉरीशस में हुए विश्व भोजपुरी सम्मेलन में भी वे 'सेतुन्या' के तौर पर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मैथिली और हिन्दी नाटकों के पुनर्जीवन में डा. उषाकिरण खान की अत्यंत उल्लेखनीय भूमिका रही है। उनके हिन्दी नाटक 'उगना रे मोर कतय गेलै' ने देश के कई थियेटरों में अपनी डायमंड जुबली मनाई है। एक अन्य नाटक 'हीरा डोम' ने भी जाति प्रथा पर चोट कर देश भर में अपना डंका बजाया है।

हर रोज बनाया नया लक्ष्य

उन्होंने अपने एक दिन को भी खाली नहीं जाने दिया। नये लक्ष्य बनाना और फिर उनका पीछा करना, इसे ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। बिहार के पूर्णिया में जन्मे ये हैं प्रो. विनय के. कंठ। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रसिद्ध शिक्षाविद श्री कंठ के सामने उम्र कहीं नहीं ठहरती। करीब दो दशक पहले बनाई उनकी ईस्ट एंड वेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी आज भी आईएएस बनने की चाह रखने वालों के लिए सबसे उम्दा कोचिंग संस्थानों में से एक है। हालांकि अब यह केवल एक कोचिंग ही नहीं रह गई बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी यह जाना पहचाना नाम बन चुकी है। प्रो. कंठ मानते हैं कि समाज के प्रति उनका दायित्व बढ़ गया है और अपनी जवाबदेही से वे पीछे नहीं भाग सकते हैं। वैसे अपने सामाजिक दायित्वों का बोध तो

प्रो. विनय के. कंठ

उन्हें हमेशा से ही रहा और यही वजह रही कि आईआईटी और आईपीएस छोड़कर उन्होंने शिक्षक बनने का फैसला किया। वे बताते हैं कि उनका चयन आईआईटी में हो गया था लेकिन उन्होंने दाखिला लेने से इंकार कर दिया था। इसी तरह आईपीएस की परीक्षा में भी वे चुन लिए गए थे लेकिन पुलिस सेवा में रुचि न होने के कारण उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर 1973 में रेलवे ट्रैफिक सेवा में नौकरी लगी लेकिन बंधन में न रहने वाले श्री कंठ ने पांच साल बाद ही वह नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद शुरू किया पढ़ाने का सिलसिला जो आज तक जारी है। अब अगला उद्देश्य गांवों में बच्चों को पढ़ाने का है।

प्रो. कंठ वर्ष 2006 में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर गठित विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य रहे। इसके अलावा एससीईआरटी द्वारा गठित पाठ्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष रहे और बतौर अध्यक्ष पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी भूमिका प्रमुख रचनाकार की रही। उनके सुझावों को राज्य सरकार ने अपनाया भी। पिछले कुछ वर्षों में प्रो. कंठ ने अपनी भूमिका को शिक्षा के लिए नीतिगत प्रचारक के तौर पर देखा है। उन्होंने केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए विधेयक की समालोचना के लिए डा. एम.एम. झा के साथ मिलकर काम किया और उनके सुझावों एवं विचारों की पूरे देश में चर्चा हुई। वे कॉमन स्कूल सिस्टम अभियान की कोर कमेटी में भी हैं। उनकी पहचान एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी है और वे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

बिखरे देशभक्तों की बनाई माला

क्रांतिकारी होना गौरव की बात है लेकिन क्रांतिकारी की संतान होना बड़ी किस्मत की बात है। भारत मां को आजाद कराने में अपनी जान गंवाने वाले अनगिनत वीरों को ही जब देश ने भुला दिया है तो उनके परिवारजनों और गांव-कस्बों को याद रखने का सवाल ही कहां पैदा होता है। मगर एक शख्स है जो अकेली ही चल पड़ी हैं इस मुश्किल सफर पर। वे जुटी हैं देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को एक सूत्र में पिरोने के अभियान में। पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला कॉलेज के वाणिज्य विभाग को अपना जीवन अर्पित करने वाली प्रो. भारती बागची महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की सुपुत्री हैं। उन्होंने अकेले ही बीड़ा उठाया है देश के उन क्रांतिकारियों और शहीदों के परिवारों को साथ लाने का जो

प्रो. भारती बागची

आज भुला दिये गए है। प्रो. बागची कहती हैं कि शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती थी क्योंकि हर कोई एक-दूसरे से बहुत दूर थे लेकिन अब लगातार यात्रा करने और सोशल मीडिया की मदद से लोग नजदीक आने लगे हैं। प्रो. बागची का मानना है कि सेनानियों की पीढ़ियों में अभी भी वो संस्कार और देश के लिए सम्मान की भावना बची है जो बाकी युवाओं में खत्म होती जा रही है। उनका उद्देश्य देश को उन राष्ट्रभक्तों के परिवारों से मिलाना है जो आज की भीड़ में कहीं खो गए हैं। वो मानती हैं कि लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जिस आजाद भारत में वो रह रहे हैं वो आजादी कैसे मिली।

जून, 1949 को पटना में जन्मीं प्रो. बागची को विनम्रता और देश से लगाव की भावना अपने पिता बटुकेश्वर दत्त से विरासत में मिली है। लेकिन उन्हें मलाल है कि उनके पिता के बलिदान को केन्द्र तो क्या राज्य सरकार ने भी भुला दिया। 8 अप्रैल, 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वालों में बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। फिरंगी सरकार ने उन्हें काला पानी की सजा सुनाई थी। उन्हीं बटुकेश्वर दत्त को आजाद भारत ने भुला दिया। प्रो. बागची को अफसोस है कि बिहार सरकार ने दत्त साहब के पटना के जक्कनपुर स्थित आवास को धरोहर घोषित करने की कोई कोशिश नहीं की। ये वो जगह थी जहां भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के भी कदम पड़े थे।

(दीपिका झा से बातचीत पर आधारित)

गौर कीजिए

36 फीसद बूढ़े लोगों की औसत मासिक आय ढाई हजार रुपये है।

बेमिसाल

76 की उम्र में खोजा मकसद

76 साल के गुरुनाथ मिसाल हैं उस जिजीविषा के जो आज के जमाने में कहीं खोती जा रही है। जरा सी ठोकर लगते ही लोग अपने को चुका हुआ मान लेते हैं और फिर दोबारा उठने का प्रयास भी नहीं करना चाहते। गुरुनाथ ऐसे नहीं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनमें जीने की चाहत है। वे कहते हैं कि बुढ़ापे में किसी कलात्मक विषय से जुड़ जाया जाय तो जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ने के साथ-साथ दिमाग की सक्रियता भी बढ़ जाती है। गुरुनाथ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्हें मालूम भी नहीं था कि उनके भीतर एक कलाकार भी मौजूद है। नौकरी से रिटायर होने के कुछ समय बाद जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कलाकार लेन हेंड का मास्टर पीस देखा तो खुद अपने भीतर भी एक कलाकार को पाया। इंटरनेट से सीखी बारीकियां और बन गए चित्रकार। उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और अब अपनी पेंटिंग के माध्यम से दूसरे बुजुर्गों का भी हौसला आफजाई कर रहे हैं। अपने दोनों बच्चों के अमेरिका चले जाने के बाद गुरुनाथ एकाकी जीवन जी रहे थे। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उनका ज्यादातर जीवन स्कॉटलैंड में बीता। करीब बीस साल से वे अपने चेन्नई वाले घर में रह रहे हैं। उनकी पेंटिंग 900 से लेकर 1200 रुपये तक में बिक जाती हैं। उन्हें लकड़ी की चीजें बनाने का भी शौक है और पेंटिंग के लिए फ्रेम भी वे खुद ही बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 76 साल की उम्र में गुरुनाथ को अपने जीने का एक नया मकसद मिल गया है और वे चाहते हैं कि और भी बुजुर्ग इसी तरह अपने लिए लक्ष्य तय करें। वे कहते हैं कि कोई भी काम बुरा नहीं होता और उसे शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए किसी का इंतजार किए बिना खुद आगे बढ़ने का जज्बा दिखाना होगा और तभी जिंदगी आसान बन पाएगी।

स्रोत : सिल्वरटॉकिज.कॉम

कभी देखा है ऐसा जवान !

कौन कहेगा कि वे 82 साल के हैं। दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं और मैराथनों में हिस्सा लेते हैं। कह सकते हैं कि बी.आर. जनार्दन हौसले और उत्साह की जीती जागती तस्वीर हैं। मुगलसराय स्टेशन पर रेलवे ऑफिसर के पद से रिटायर होने वाले जनार्दन प्रदूषण के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं और इसलिए हमेशा साइकिल पर चलते हैं। बेंगलुरू के जनार्दन पिछले 25 साल से हर बार अपने बैंक तक जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। उनका घर शहर के दक्षिणी छोर पर है जबकि बैंक उत्तरी छोर पर!

1997 में जब श्री जनार्दन ने साइकिल चलाने की शुरूआत की थी तो उसी समय डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि वे मिर्गी रोग से पीड़ित हैं। जनार्दन ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकारा और प्रण कर लिया कि वे डॉक्टरों को झूठा साबित कर देंगे। इसके बाद उन्होंने साइकिल से हासन तक की यात्रा पूरी की जो बेंगलुरू से 180 किलोमीटर दूर है। इसके साथ-साथ वे हरियाली के बड़े समर्थक हैं और अपने लिए सब्जियां भी खुद ही उगाते हैं। मैराथन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, फिर चाहे वह उनके अपने राज्य में हों या किसी और राज्य या देश में। मुंबई में वे तीन फुल मैराथन में दौड़ चुके हैं जबकि बेंगलुरू में दो और दुबई में एक फुल मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं। बताते हैं कि वे अब तक 20 हाफ मैराथन और छह अल्ट्रा मैराथन में भाग ले चुके हैं। इतना ही नहीं दुबई में एक प्रतियोगिता के दौरान 1600 सीढ़ियां यानी 64 मंजिल, वे सिर्फ 22 मिनट में चढ़ गए थे। इसी तरह मुंबई में 1250 सीढ़ियों को चढ़ने में उन्हें केवल 7 मिनट 58 सेकंड लगे थे। 82 साल के जनार्दन की जज्बे को देखकर शायद ही कोई उन्हें बूढ़ा कहने की हिम्मत कर सकेगा।

स्रोत : सिल्वरटॉकिज.कॉम

गौर कीजिए

79 फीसद बुजुर्ग पैसों के लिए अपने बेटों पर निर्भर रहते हैं।

पिज्जा ग्रैनी ने कर दिया कमाल

बूढ़ा हो जाने का मतलब क्या निष्क्रिय हो जाना होता है ? बिल्कुल नहीं, और इसे साबित कर दिखाया है बेंगलुरू की दो सहेलियों ने। न खुद को कमजोर माना और न दूसरे बुजुर्गों को कमजोर बनने दिया। वर्ष 2003 में कॉस्ट एकाउंटेंट के पद से रिटायर होने के बाद पद्मा श्रीनिवासन ने सहेली जयलक्ष्मी के साथ मिलकर वृद्धाश्रम 'विश्रांति' की स्थापना का स्वप्न देखा लेकिन जब उसे खोलने में पैसे की कमी आड़े आई तो एक और नई विधा सीखी और बन गईं 'पिज्जा ग्रैनी'। आज बेंगलुरू उन्हें इसी नाम से जानता है। पद्मा कहती हैं कि शुरुआत में हमें कुछ नहीं पता था कि पैसे कहां से आएंगे लेकिन मैं जानती थी कि यदि ठान लो तो कुछ भी हो सकता है। उन्हीं दिनों अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए एक विज्ञापन आया। दोनों ने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली और पिज्जा बनाने की ट्रेनिंग ली। रिचमंड टाउन के एक गैरेज में उनका पहला पिज्जा आउटलेट खुला। आस-पास स्कूल होने के कारण उनका पिज्जा चल निकला। दोनों सहेलियों का हौंसला बढ़ा तो उन्होंने बेटी सारासा की मदद ली और धीरे-धीरे अपने पिज्जा की सप्लाई मल्टीनेशनल कंपनियों में करनी शुरू कर दी। उनके हाथों के बने पिज्जा ने उन्हें पिज्जा ग्रैनी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। जब इस व्यवसाय ने आकार ले लिया तब दोनों अपने वास्तविक मकसद पर लौटीं और विश्रांति बनाने के लिए अपना खूबसूरत घर बेच दिया। अब जिस जगह पर विश्रांति बन रहा था वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें तीन बार बस बदलनी पड़ती थी मगर मकसद इतना बड़ा था कि उसके सामने हर बाधा छोटी हो गई थी। आज विश्रांति की हरियाली और शांति इतनी मनमोहक है कि हर बुजुर्ग यहां अपने कुछ दिन जरूर गुजारना चाहता है। देश तो क्या विदेशों से भी बुजुर्ग कुछ दिन के लिए यहां आकर समय गुजारते हैं। 27 वर्ष की छोटी सी उम्र में अपने पति को खो देने वाली पद्मा को भी कहां पता होगा कि उसके सपने 70 वर्ष की आयु में लंबी उड़ान भरेंगे।

स्रोत : सिल्वरटॉकिज.कॉम

पेंटिंग के लिए कैंसर को हराया

श्रीमति पंकजम सुंदरम की तारीफ करना सूरज को रोशनी दिखाने के समान है। 71 साल की उम्र है, आंखों की रोशनी 80 फीसद तक खत्म हो चुकी है, थायरॉयड के कैंसर से अभी-अभी गुजरी हैं मगर फिर भी हौसला खत्म नहीं होता। कोयम्बटूर में ग्लास पेंटिंग की जानी-मानी कलाकार हैं और आज भी बारीक डिजायनों को खुद तराशने से नहीं चूकती हैं। ये और बात है कि कंप्यूटर पर डिजायन देखने के लिए उन्हें तस्वीर को कई गुना बड़ा करना पड़ता है।

कला के प्रति दीवानगी तो उनमें हमेशा से ही थी। जब पति ब्रुक बांड इंडिया में काम करते थे उस समय भी अपने हाथों से कार्ड बनाकर वे पति के दफ्तर में भिजवाया करती थीं। उन्हीं दिनों उन्होंने एयर इंडिया के महाराजा को लकड़ी पर बनाया जिसे बाद में एयर इंडिया ने अपने लिए इस्तेमाल भी किया। 1981 में पंकजम ने कोयम्बटूर में पहला वीमेंस हॉबी क्लब का भी निर्माण किया। करीब बीस साल बाद जब वे एक स्कूल में ग्लास पेंटिंग सीखने गईं तो उस समय उनकी आंखों की रोशनी 50 फीसद तक खत्म हो चुकी थी। उन्होंने स्कूल में दाखिला नहीं लिया लेकिन वहां रखीं पेंटिंगों को उनके कला मन ने परख लिया। उन्होंने छह महीने तक अपने कला स्कूल को बंद किया और जुट गईं ग्लास पेंटिंग को सीखने में। आंखों में परेशानी के बाद भी पंकजम ने इंटरनेट के जरिये ग्लास पेंटिंग की बारिकियों को जाना और इसमें महारथ हासिल की। इस दौरान उन्हें बेटे के पास अमेरिका भी जाने का मौका मिला और वहां किताबों और इंटरनेट के जरिये इस कला को गहराई से समझने का उन्हें मौका मिला जिसके बाद उन्होंने ग्लास पेंटिंग में अपनी एक अलग तकनीक ईजाद की। स्वदेश लौटने पर अपने छात्रों को इस तकनीक के बारे में बताया। उनकी कई पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध हुईं जिनमें सबसे चर्चित रही महाभारत की रचना करते गणेश की पेंटिंग। पंकजम बताती हैं उनके काम में उनका बेटा समालोचक की भूमिका निभाता है और हर छोटी-बड़ी गलती के बारे में उन्हें बताता है।

स्रोत : सिल्वरटॉकिज.कॉम

गौर कीजिए

61 फीसद बूढ़े लोग अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुओं पर निर्भर रहते हैं।

साथ रहने की कीमत चुका रहे मां-बाप

भारतवर्ष में आज से कई वर्ष पूर्व संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी। बच्चे माता पिता के साथ साथ चाचा-चाची, ताऊ-ताई, दादा-दादी, बुआ, मौसी, नाना-नानी के बीच पलकर बड़े होते थे। बच्चों को इन सम्बन्धों के बारे में आज की तरह समझाना मुश्किल नहीं होता था। एकल परिवार किसी मजबूरी का प्रतीक हुआ करते थे। माता-पिता को बच्चों को नैतिक शिक्षा, त्याग, प्रेम, सहिष्णुता सिखानी नहीं पड़ती थी, परिवार के सदस्यों के बीच रहकर वे स्वयं ही सीख जाते थे। परंपरा, व्यावहारिकता, अनुशासन के पाठ दादा-दादी द्वारा सुनाये जाने वाले पौराणिक व लोक कथाओं से प्राप्त हो जाया करती थीं। लेकिन ज्यों-ज्यों लोगों की आकांक्षाएं और लालसा बढ़ती गईं, गावों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता गया, परिवार टूटते चले गए। बूढ़े मां-बाप गांवों में खेत-घर सम्भालने के लिए रहने लगे और उनके बच्चे नौकरी और पढ़ाई के लिए शहरों में आते गए। परिवारों के इस विघटन के फलस्वरूप घर के वे बुजुर्ग जो अब तक परिवार की रीढ़ हुआ करते थे, बोझ से लगने लगे। श्रवण कुमारों की संख्या घटती चली गई और आश्रित, बीमार, असहाय बुजुर्गो की संख्या बढ़ती चली गई। भारत में 11.66 करोड़ लोग 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, जिनमें 72 फीसद से ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं दूसरों पर निर्भर हैं। बुजुर्ग महिलाएं अपने ही घर में उपेक्षित एवं अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर हैं। कुछेक को तो जीवनोपयोगी आवयक साधन भी उपलब्ध नहीं होते। तो क्या ऐसी स्थिति में उन जैसों के लिए वृद्धाश्रम उपयोगी नहीं है ?

उषा मिश्रा ठाकुर

(कला-संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी केन्द्र में सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा आकाशवाणी दिल्ली से भी सक्रिय रूप से जुड़ाव रहा है।)

हैरत की बात है कि भारत जैसे देश में भी वृद्धाश्रमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बच्चे खुद अपने वृद्ध अभिभावकों को जबरन वहां छोड़कर आने लगे हैं। वृद्ध महिलाएं हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन तथा काशी में भीख मांगती देखी जा सकती हैं। इनमें कितनी वैसी होती हैं जिनकी संपत्ति को अपने ही लोगों ने हड़प कर उन्हें घर से निकाल दिया। कुछ ऐसे भी वृद्ध हैं जो अपने बच्चों के दूर रहने अथवा उनके विदेशों में बस जाने के कारण अथवा जीवनसाथी के निधन के पश्चात एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे लोग कहां जाएं ? क्या अपने ही घर में रहने के लिए अपने ही बच्चों से स्नेह और आदर पाने के लिए करुणा की भीख मांगें या फिर किसी भी हाल में साथ रहने के लिए उसकी कीमत चुकाएं !

कारण अनगिनत हो सकते हैं। मजबूरियां भी कई हो सकती है मगर अंततः कीमत बूढ़े मां-बाप को ही चुकानी पड़ती है। क्या ऐसी स्थिति से उन्हें उबारने का कोई सार्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। वृद्धों की संख्या आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगी। आज जितने भी युवा हैं, वे सब सन 2050 तक उम्रदराज हो जाएंगे। नैतिक जिम्मेदारी आज की पीढ़ी ही जब नहीं समझती, तो आने वाली पीढ़ियों से हम क्या उम्मीद करेंगे। हमें इसके लिए समुचित उपाय ढूंढने ही होंगे। विदेशों में सरकार की तरफ से वृद्धाश्रम खोले जाते हैं। इजरायल में काफी समय से बुजुर्गो की देख-भाल एवं हिफाजत ओल्ड एज होम में बाकायदा प्रशिक्षित नर्सो द्वारा की जाती है। वहां बुजुर्गो के लिए अलग से सिटी बसाई गई है। उन्हें स्नेह, सम्मान और समस्त सुविधाओं के साथ रखा जाता है। हमारे देश की सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे सरकार के कई मंत्रालय बाल विकास, महिला विकास के लिए कृतसंकल्प हैं, उसी प्रकार एक वृद्धों से संबंधी मंत्रालय भी होना चाहिए जो सभी वृद्धों के पुनर्वास और कल्याण के लिए कार्य करे।

जहां तक नैतिक जिम्मेदारी की बात है तो एक रोचक कथा बताती हूं। एक सज्जन अपने बूढ़े पिता की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कर जब शहर लौट रहे थे तो उनके बेटे ने अपने दादा का कंबल और बर्तन अपने पास संभाल कर रख लिया। पिता के कारण पूछने पर पुत्र ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, "पिताजी, आप जब बूढ़े हो जाओगे, तब मैं भी आपको यही कंबल और बर्तन दूंगा।"

क्या ही अच्छा हो अगर आने वाले समय के साथ साथ आज के बुजुर्गो विशेषकर महिलाओं को एक आदर्श और सम्मानित जीवन देकर उनकी मर्यादा की रक्षा की जा सके। प्रत्येक 1 अक्तूबर को अन्तर-राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है जिसमे कई योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है, घोषणाएं की जाती हैं परंतु जिस पैमाने पर बुजुर्गो की देख भाल, सुरक्षा और सम्मान की जरूरत है और उनका पुनर्वास किया जाना है उसका लेशमात्र भी होता नहीं दीखता। इस पुनीत महाअभियान में हम सभी की हिस्सेदारी है - परिवार, समाज और सरकार की। हम सब अपने अपने हिस्से से योगदान करें ऐसा प्रण लें।

गौर कीजिए

20 फीसद बुजुर्ग घरेलू कारणों से प्रताड़ना झेलते हैं।

मंजरी

स्त्री के मन की

bansal TUTORIALS
FOR CLASS : VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII, IIT-JEE (MAINS & ADVANCED) & MEDICAL ASPIRANTS

THE OFFSETTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
design, pre-press and color offset printing

Hospito India
A centre for complete Medical diagnostic solution

जीवक हार्ट अस्पताल
Jeevak Heart Hospital
सर्वे सन्तु निरामया

केनरा बैंक
Canara Bank
Together We Can

SAGE 50 YEARS

COMFED
PRIDE OF BIHAR
Sudha

आप हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। इस विषय में विशेष जानकारी equityasia@gmail.com पर ली जा सकती है।

मुख्य संपादक
नीना श्रीवास्तव

Thought-provoking classic books which touches different facets of women in our society!

SAGE 50 YEARS

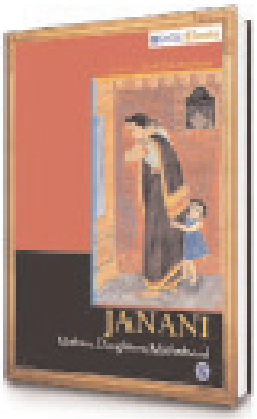

Motherhood is a phenomenon of 'infinite variety' though, not infrequently, 'staled' by 'custom'

JANANI-MOTHERS, DAUGHTERS, MOTHERHOOD

Edited by **Rinki Bhattacharya**

Janani, or mother as the creator of life, defines this narrative collection. The book brings together autobiographical writings of women from many walks of life—noted authors, artists, academics—to share their experiences of being mothers, daughters, or both. The accounts combine memory and nostalgia in nuanced detail, making each narrative heart-warming and, at times, profoundly challenging.

The Janani stories vividly explore the whole gamut of motherhood. Immensely readable, the volume has a wide appeal —not just for mothers and daughters, but for fathers and sons as well; in fact, for all those who celebrate the rare gift of human relationships.

2013 • 212 Pages • Paperback: ₹ 295.00 (978-81-321-1134-4)

Any traditional custom that places women in subordinate positions within society or in the family has the potential to turn violent.

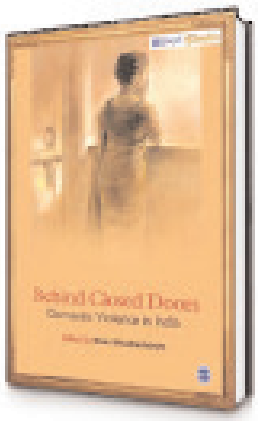

BEHIND CLOSED DOORS

Domestic Violence in India

Edited by **Rinki Bhattacharya**

To be assaulted, abused and raped by someone as intimate as a husband, or lover, is the most degrading experience for a woman. Not recognized as 'real' violence, abuse of this nature is experienced daily by countless women in every culture. Behind closed doors of family, custom, values, traditions that are taken for granted and never questioned-are muffled voices of terror and trauma, which do not reach beyond the threshold nor attract the attention of lawmakers of redress agents.

Edited by a renowned women's rights activist and a former victim of domestic violence, the book takes us inside these closed doors. It puts together the life stories of seventeen women from diverse culture, class, education and religious backgrounds in India who were victims of domestic violence. Apart from being a first person account, this powerful book is a tribute to the courage and determination of women who decided to break their silence. The book will inspire other victims of this 'hidden crime', to speak out, share their plight and change their fate.

2013 • 244 Pages • Paperback: ₹ 295.00 (978-81-321-1026-2)

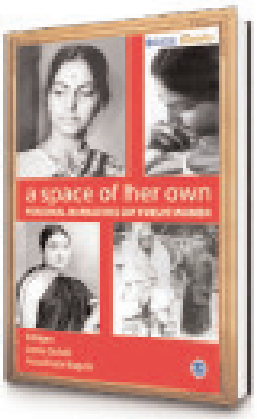

In a society where marriage means a girl leaving her natal family to join another family, this project represents a somewhat subversive voice.

A SPACE OF HER OWN

Personal Narratives of Twelve Women

Edited by **Leela Gulati** and **Jasodhara Bagchi**

Several books have been written about the position of women in India's patriarchal society. This collection of twelve narratives, however, focuses not so much on women's subservient position vis-à-vis men, but on women's relations with each other. With the authors locating their personal struggles within those of three generations of women in their families, these narratives span a period of over 100 years, and intersect both the private and public domains.

Reflecting on the emotional lines of matriliny within the social structure of patriliny, each narrative in A Space of Her Own is a tale of how the author fought to establish her own personhood and create a sphere of autonomy where she is able to make decisions to nurture herself and those around her.

2014 • 284 Pages • Paperback: ₹ 295.00 (978-81-321-1796-4)

Get an exclusive 20% discount!!

Write to *marketing@sagepub.in* with code MANJARI2.

www.sagepub.in

Los Angeles • London • New Delhi • Singapore • Washington DC